बेसते महेदी अले0 अहादीस की रौशनी में

हज़रत अफ़ज़लुल - उलमा मौलाना अलहाज
सय्यद नज़्मुद्दीन रहे०
(अध्यक्ष मज्लिसे उलमाए महेदविय्या हिंद)

रूपाँतर कर्ता
शेख़ चाँद साजिद

بسم الله الرحمن الرحيم

भूमिका

तमाम तारीफ़ अल्लाह ही के लिये है जो इस जगत का ख़ालिक़ (स्रष्ठा) है और जिसने अपने प्रिय पैग़मवर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० को अपने बंदों की हिदायत (मार्गदर्शन) के लिये भेजा, फिर आप ही के वंश से अपने ख़लीफ़ा हज़रत महेदी अले० को भेजा, जिनके आने की शुभसूचना रसूलुल्लाह सल्ला० ने दी थी। दरुदो सलाम उन दोनों पर और उनकी संतान और महावा रज़ी० पर।

हज़रत महेदी अले० के आने के विषय में ३०० से अधिक अहादीस वयान की गइ हैं, जिनमें से कुछ सहीह यानी सत्य और प्रमाणित हैं और कुछ सहीह नहीं हैं। इसका बयान विस्तारपूर्वक इस पुस्तक में किया गया है। हदीसों के अनुवाद और भाषांतरण में मतभेद के कारण मुसलमानों में महेदी अले० के व्यक्तित्व के निर्धारण और आगमन का स्थान और समय के विषय में मतभेद पैदा होगया। बाज़ लोग महेदी अले० के आने का इंतिज़ार (पतीक्षा) कर रहे है, और बाज़ लोग जोनपूर (भारत) में (८४७ हिज्री/१४४३ ईसवी में) जन्मे हुवे हज़रत सय्यद मुहम्मद इब्ने सय्यद अब्दुल्लाह को ''महेदीए मोऊद'' मानते हैं जिनके आने का रसूलुल्लाह सल्ला० ने वादा किया था। इन लोगौं को ''महेदवी'' कहते हैं।

जब हज़रत सय्यद मुहम्मद महेदी अले० ने मुसलमानों में इस्लाम धर्म के विरूद्ध प्रचलित रस्म (परम्परा), आदत (स्वभाव) और बिदअत (धार्मिक नवधारणा) को मिटा कर इस्लाम को ख़ालिस (विरुद्ध) रूप में प्रस्तुत किया तो जनता के साथ - साथ समाज के विशेष लोग और शासक आप की तरफ़ राग़िब (आकर्षित) होने लगे। यह देखकर बाज़ समकालीन उलमा भयभीत होगये कि उनकी प्रधानता और स्वामित्व के लिये यह हानिकारक है, इल लिये उन्होंने विरोध प्रकट किया। इस तरह वाद-विवाद का सिलासिला शुरु होगया, जो आज भी जारी है.

वैसे तो महेदविया पुस्तकों में हर प्रश्न का उत्तर मौजूद है लेकिन समय के साथ भाषा में भी परिवर्तन होता रहता है। इस लिये मर्कज़ी अंजुमने महेदवीया, हैदराबाद ने १९८२ या १९८३ में यह तय किया कि महेदी अले० के आगमन की आवश्यकता, आगमन का सुबूत, आप की तालीमात (शिक्षा - फ़राइज़े विलायत) और सीरत (चरित्र) पर सरल भाषा में पुस्तकें लिखी जायें। चुनाँचे चार उलमा को यह काम सोंपा गया।

१) बेसते महेदी क़ुरआन की रौशनी में - हज़रत अबू सईद सय्यद महेमूद तश्रीफ़ुल्लाही रहे०

२) बेसते महेदी अहादीस की रौशनी में - अफ़ज़लुल उलमा हज़रत सय्यद नज्मुद्दीन रहे०

३) तालीमाते महेदी - फ़राइज़े विलायत - हज़रत अबुल हादी सय्यद महेमूद अकेलवी रहे०

४) महेदी अले० की सीरत - मौलवी सय्यद इफ़्तेख़ार एजाज़ रहे०

यह पुस्तक ''बेसते महेदी अले० अहादीस की रौशनी में''

उसी क्रम की कड़ी है, जो अफ़ज़लुल उलमा हज़रत मौलाना सय्यद नज्मुद्दीन रहे० अध्यक्ष मज्लिसे उलमाए महेदवीय हिंद ने उर्दू भाषा में लिखी थी जो अंजुमने महेदवीया की ओर से १९८४ में प्रकाशित की गई थी। इस पुस्तक का अंगरेज़ी अनुवाद भी प्रकाशित हो चुका है, और अब यह हिंदी में प्रस्तुत की जा रही है।

याद रहे कि महेदी अले० से संबंधित कोई भी हदीस किसी महेदवी की लिखी हुवी यह बनाइ हुवी नहीं है। वह महेदी अले० जिनका इंतिज़ार किया जा रहा है और वह महेदी अले० जो आये और गये, दोनों के विषय में इन हदीसों का इत्लाक़ (अनुप्रयोग) होता है।

हज़रत मौलाना सय्यद नज्मुद्दीन साहब रहे० ''महेदी अले० की बेसत (आने) की अनिवार्यता अहादीस की रौशनी में'' को संक्षिप्त रुप में मगर जामेअ (व्यापक)अंदाज़ में समझाने का प्रयास किया है। उन्हों ने साफ़ शब्दों में लिखा है कि:

''इस्लाम धर्म से संबंधित किसी विश्वसनीय या अविश्वस्त पुस्तक में लिखित किसी बात के आधार पर इस्लाम धर्म या पैग़म्बर हज़रत मुहम्मद सल्ला० पर कोइ एतेराज़ (आपत्ति) उचित और स्वीकारणीय नहीं हो सकता जब तक यह साबित न होजाये कि वह बात रसूलुल्लाह सल्ला० ने की या कही है। उसी तरह किसी महेदवी लेखक की पुस्तक में लिखित किसी बात के आधार पर महेदवीय मज़्हब या हज़रत महेदी मौऊद अले० पर किसी प्रकार का एतेराज़ स्वीकारणयि नहीं हो सकता जब तक यह साबित न हो जाये कि वह बात हड़रत महेदी अले० ने कही है या की है।''

माद्दा परस्ती (भौतिकवाद) के इस युग में धार्मिक सिद्धांत से दूरी के कारण लोग बेचैन हैं। महेदी अले० के बारे में उलझन और ग़लत फ़हमी फैलाने में सोशल मीदिया सरगर्म है। ऐसे में सत्यवादी लोगौं के मार्गदर्शन के लिये यह पुस्तक लाभ दायक साबित हो सकती है।

अल्लाह तआला से दुआ है कि हम सब को गुमराही से बचाये और नेक तौफ़ीक़ अता फ़र्माए। आमीन

टोरांटो (केनडा) **शेख़ चाँद साजिद**
२६नवम्बर, २०२५

अफ़ज़लुल – उलमा हज़रत मौलाना सय्यद नज्मुद्दीन रहे० संक्षिप्त परिचय

फ़ज़ीलत मआब फ़क़ीहुल – अस्र अफ़ज़लुल – उलमा हज़रत मौलाना सय्यद नज्मुद्दीन मुज्तहेदी रहे० अहले बिच्पड़ी ने २२ सफ़र १३२० हिज्री/१९०२ ईसवी को एक धार्मिक घराने में जन्म लिया, और केवल १३ साल की उम्र में महदेवीय धार्मिक न्यमानुसार ''तर्के-दुनिया'' (संसार से प्रेम को त्याग्ने) का फ़रीज़ा अपने आदरणीय पिता और मुर्शिद हज़रत सय्यद महेमूद रहे० के हाथ पर अंजाम दिया। बच्पन से ही ज्ञान प्राप्त करने का शौक़ था। आप ने अपने नाना हज़रत अल्लामतुल-अस्र मौलाना सय्यद नुसरत रहे०, बहरुल – उलूम अल्लामा सय्यद अश्रफ़ शमसी रहे० और मामा हज़रत मौलाना सय्यद शहाबुद्दीन रहे० से शिक्षा प्रप्त की।

आप तमाम इस्लामी उलूम जैसे तफ़सीर, फ़िक़्ह, हदीस, तर्कशास्त्र, और माअरिफ़त (अध्यात्म – विद्या) के माहिर (विशेषज्ञ) थे। आप जीवन के अंतिम समय तक मज्लिस उलमाए महेदवीया हिंद के अध्यक्ष रहे। सादा मिज़ाज (निश्छल), साबिर (सहनशील) और क़ानेअ (आत्मसंतोषी) थे। आप के अनेक लेख और फ़तावा (धर्मादेश) अनेक पत्रिकाओं में प्रकाशित होचुके हैं और कई किताबें जैसे तन्वीरुल – अब्सार, रिसाला इक़्तिदा, महेदवीयत ऐने इस्लाम और बेसते महेदी अहादीस की रौश्नी में वग़ैरा भी प्रकाशित होचुकी है। आपके बाज़ फ़तावा का मजमूआ ''मसाइले फ़िक़्ह और फ़तावाए नज्म'' के नाम से और बाज़ मज़ामीन (लेख) का मजमूआ ''सफ़ीनए नज्म'' के नाम से प्रकाशित होचुके हैं।

अफ़ज़लुल-उलमा हज़रत सय्यद नज्मुद्दीन रहे० का निधन ८५ वर्ष की आयु में २२ शव्वाल १४०५ हिज्री/११ जुलई १९८५ को हुवा और हज़ीरा हज़रत बंदगी मियाँ शाह क़ासिम रहे० मुशीराबाद में तदफ़ीन अमल में आई। आपके लेख और फ़तावा से अहले इस्लाम हमेशा लाभ उठाते रहेंगे।

मुक़द्दिमा (प्राक्कथन)

अफ़ज़लुल उलमा हज़रत मौलाना अल-हाज सय्यद नज्मुद्दीन साहेब रहे० (अध्यक्ष मज्लिसे उलमाए महेदीवियह (हिंद)

हामिदन् व मुसल्लियन्

तमाम इसलामी अहकामात (आदेश) और तालीमात (शिक्षा) का माख़ज़ (संदर्भ) क़ुरआने मजीद और अहादीसे शरीफ़ा हैं। ख़ुदाए तआला के इर्शादात (निर्देश) से जो बात साबित (सिद्ध) हो वह मुसलमान के लिये वाजिबुल - एतिक़ाद (जिसकी मान्यता आवश्यक है) और वाजिबुल - अमल (अनिवार्य करणीय) है, क्योंकि हर प्रश्न का अंतिम उत्तर अल्लाह और रसूल सल्ला० के आदेशों में ही मिल सकता है। ख़ुदा और रसूल सल्ला० के हुक्म से जो बात साबित हो उस पर ईमान लाना और उसको सच जान्ना ज़रूरी है और तमाम इसलामी अक़ाइद (मत) और आमाल (कार्य) इसी उसूल (नियम) पर आधारित हैं, मसलन् तौहीद, नमाज़, रोज़ा, ज़कात और हज् की फ़र्ज़ियत (धार्मिक अनिवार्यता), और मूर्ति पूजा और शराब (मदिरा) की हुर्मत (धर्म-निषधता)। इसी तरह आख़िरत (परलोक) और उसके संबंधित विषय जैसे जन्नत (स्वर्ग), दोज़ख़ (नरक), हौज़े कौसर, अज़ाबे क़ब्र, क़यामत और उसकी अलामात जैस पश्चिम से सर्योदय, दाब्बतुल-अर्ज़ क ख़ुरूज (निस्सरण) हश्र (महाप्रलय), नामए आमाल (क्रमपत्र), मीज़ान (सत्कर्म और दुष्कर्म को तोलना) और सिरात (पथ) वग़ैरह। ग़रज़ बहुत से ऐसे अक़ाइद और आमाल हैं कि हम सब मुसलमान उन पर इसी लिये ईमान लाते हैं कि यह बातें ख़ुदा और रसूल सल्ला० के हुक्म से साबित हैं।

जिन अक़ाइदो आमाल के सहीह (सत्य) होने का मुसलमान यक़ीने कामिल (संपूर्ण विश्वास) और एतिक़ादे जाज़िम (पक्की निष्ठा) रखते हैं, उनके मिन्जुम्ला बाज़ ऐसे हैं कि क़ुरआने शरीफ़ में साफ़ और सरीह तौर पर (स्पष्ट रुप में) उनका ज़िकर किया गया है, और बाज़ बिलइज्माल (संक्षिप्त रुप में) संकेत द्वारा मज़्कूर (कथित) हैं और हज़रत रिसालत पनाही सल्ला० की अहादीस से उनकी तफ़सील मालूम होती है, मसलन् नमाज़ और ज़कात के विषय में

क़ुरआने मजीद में सिर्फ़ इस क़दर हुक्म दिया गया है कि ''नमाज़ पढ़ो और ज़कात अदा करो'' मगर यह तफ़सील (ब्योरा) कि नमाज़ किस प्रकार पढ़ी जाए, अर्कान की तर्तीब (क्रम), उसके फ़राइज़ और वाजिबात, सुनन् और मुस्तहेबात, मकरुहात (नापसंद) और नवाक़िसात (दोष) क्या हैं? और इसी तरह ज़कात कौन अदा करे और कब अदा करे और किस चीज़ से किस मिक़दार (मात्रा) में अदा करे? यह तमाम तफ़्सीलात अहादीस ही से साबित होती हैं।

''महेदी अलैहिस्सलाम की बेसत भी क़ुरआन शरीफ़ से उसी तरह साबित है जिस तरह आसमानी किताबों में रसुलुल्लाह सल्ला० की बेसत (आना) पूर्व अंबिया की बशारतों से मुतहक़्क़क़ (सच्ची साबित) होती है।''

लेकिन उन आयाते क़ुरआनी से किसी और वक़्त बहस की जायेगी जिनमें इमामे मौऊद अले० की ख़बर पाई जाती है। ईस अवसर पर सिर्फ़ हदीस के उसूल (सिद्धांत) और फ़रामीने रिसालत पनाही सल्ला० की रौश्नी में यह दिखाना मक़सूद है किः

बेसते महेदी अले० के संबंध में जितनी हदीसें आई हैं वह मौज़ूअ (घटित) और बनाई हुई नहीं हैं बल्कि ऐसी सहीह और मुस्तनद (प्रमाणित) हैं कि उन अहादीस की रू से (कारण) महेदी अले० की बेसत (आना) ज़रूरी होने का एतिक़ाद रखना हर मुसलमान के लिये लाज़िम और फ़र्ज़ है। और हक़ीक़त यह है कि तमाम इस्लामी फ़िरक़े हज़रत इमाम महेदी अले० की ज़रूरते बेसत के क़ाइल (स्वीकार कर्ता) हैं। अगर उनमें इख़्तिलाफ़ है तो सिर्फ़ यही कि इस पुर अज़्मत व जलाल (महान) मफ़हूम (भावार्थ) का मिस्दाक़ (प्रमाण) कौन सी ज़ाते अक़दस (पवित्र पुरूष) है। महेदवियह यह अक़ीदा रखते हैं कि उस ज़ाते अक़दस (पवित्र महापुरुष) का ज़ुहूर (प्रकटन) हो गया और दूसरे मुसलमान फ़िर्क़े उनके मुन्तज़िर हैं।

ग़रज़ बेसते महेदी का विषय इस्लामी अक़ाइट का एक ज़रुरी जुज़्व (अनिवार्य) है, और तमाम इस्लामी फ़िर्क़े बेसते महेदी की आवश्पक्ता का अक़ीदा (मत) रखते हैं, परंतु अगर मतभेद है तो सिर्फ़ तअय्युने शख़्सी (व्यक्तिगत निर्धारण) में है कि वह रसूलुल्लाह सल्ला० का मौऊद (वादा किया हुआ) कौन है?

हम महेदवी आयाते क़ुरआनी और अहादीस की रौशनी में यक़ीने वासिक़ (पूर्ण विश्वास) और एतिक़ादे जाज़िम (दृढ़ निष्ठा) रखते हैं कि हज़रत इमामुना सय्यद मुहम्मद (जोनपूरी) महेदीए मौऊद, ख़लीफ़तुल्लाह, मासूम अनिल ख़ता (निर्दोष) और ख़ातिमे विलायते मुहम्मदियह हैं। ख़ुदा और रसूले ख़ुदा ने जिनके आने का वादा किया आप की ज़ाते क़ुदसी सिफ़ात है।

महेदी अले० की बेसत (आगमन) की ज़रूरत (अनिवार्यता) पर तीन एतिबार (नियम) से बहस की जा सकती है - मन्क़ूली (नक़्ल किया गया), माअक़ूली (तर्क शास्त्र) और वह वुजूह (कारण) जो इन दोनों नियमौं को हावी (प्रभावी) हैं, लेकिन इस वक़्त हम मुख़्तसर रिसाले में सिफ़ मन्क़ूली एतिबार से बहस करते हैं। मंक़ूली पहलू का यह माना है कि हमको ख़ुदा और रसूल की तरफ़ से बेसते महेदी अले० के विषय में क्या हुक्म दिया गया है।

जो लोग महेदी अले० के वुजूद के ज़रूरी होने में शक करते हैं, उनकी बहस अहादीसे रसूलुल्लाह सल्ला० के क़ाबिले इस्तिदलाल (तर्क योग्य) और लाएक़े हुज्जत होने पर आधारित है, यानि वह रसूलुल्लाह सल्ला० की हदीस को ध्यान देने योग्य नहीं समझते, हालांकि हक़ीक़त यह है कि इस्लाम धर्म के तमाम अहकाम का अस्ल (मूल) क़ुरआन और हदीस हैं। क़ुरआन क़ानून का मूल आधार है तो हदीस क़ानून की शरह (व्याख्या) है।

अगर अहादीस को दीन में जो पाया और मर्तबा हसिल है उससे इन्कार किया जाय तो यक़ीनन आधा दीन नाक़िस (दूषित) हो जाएगा।

इसकी स्पष्ट मिसाल (उदाहरण) ऊपर ज़िक्र की गई है कि क़ुरआन में सिर्फ़ नमाज़ पढ़ने और ज़कात देने का हुक्म दिया गया है, लेकिन नमाज़ की तमाम तफ़सीलात और ज़कात के जुम्ला तफ़सीली अहकाम अहादीस ही से साबित हैं।

अगर कोई मुसलमान अहादीस को क़ाबिल हुज्जत (तर्क योग्य) ख़याल ना करे तो वह नमाज़ ही अदा न कर सकेगा। इस लिये कोई मुसलमान यह तो जुर्अत (दुस्साहस) नही कर सकता कि जो बात हज़रत सर्वरे काइनात मुहम्मद मुस्तक़ा सल्ला० से साबित है वह लाएक़े हुज्जत (प्रमाण के योग्य) नहीं है। ऐसा

ख़याल करने वाला हक़ीक़त में मुसलमानों के एतिक़ाद में मुसलमान ही नहीं रह सकता।

परंतु वह यह शक करे तो संभव है कि हज़रत रिसालत पनाही सल्ला० ने ऐसा कहा या किया भी है या नहीं तो फ़ैसला करने के लिये उलमाए इस्लाम ने ऊसूले हदीस और फ़ने रिजाल मुदव्वन (संकलित) फ़र्मा दिया है जिस से बआसानी मालूम हो सकता है कि कौन सी हदीस सहीह है और कौन सी सहीह नहीं है।

इसके अलावा आदते इलाही इस तरह जारी हुवी है कि आइंदा होने वाले वाक़िआत की सुचना अल्लाह की जानिब से या उन नुफ़ूसे क़ुदसिया (पवत्रि प्राणी) जो अंबिया अले० के लक़ब से मुलक़्क़ब हैं हम तक पहुंचती रही है।

और इस तरह अहादीस में अनगिनत पेशीनगोयाँ हैं जिनकी सूचना ख़ुदा और रसूल सल्ला० की तरफ़ से उनके घटित होने से पहले दी गई हैं और तमाम अहले इस्लाम का यह एतिक़ाद है कि यह अख़बारे मुग़य्यब (दैविय भेद) हैं और उन सब का ज़हूर (प्रकट होना) यक़ीनी (सुनिश्चित) है।

इसी तरह महेदी अले० की बेसत के बारे में भी जो अहकाम वारिद हुवे (आये) हैं, वह दूसरी पेशीन गोइयौं या अख़बारे मुग़य्यब की तरह क़ुरआन और हदीस में ख़ुदा और रसूल सल्ला० की तरफ़ से उम्मत को दी गइ हैं।

चुनाँचे (अर्थात) आयाते क़ुरआनी में उस की तरफ़ इशारा किया गया है और अहादीसे शरीफ़ा में उसकी वज़ाहत (स्पष्टी करण) की गइ है। पस पूर्व अंबिया की किताबौं में नबी आख़रुज़्ज़माँ रूही फ़िदाहु की बेसत के बारे में जो रिवायात मौजूद हैं और अहादीसे शरीफ़ा में अख़बारे मुग़य्यब और पेशीन गोइयौं की निस्बत जिस तरह बहस की जाती है, महेदी अले० के बारे में जो अख़बार (समाचार) और अहादीसे मुतवातिरा वारिद (आये) हैं उनमें भी उसी हैसियत से बहस की जाना चाहिये और उन से अहकाम का इस्तिख़राज (अर्थ निकालना) करना चाहिये।

जो बात अहादीसे मुतवातिरा (निरंतर सुचित की हुवी) से साबित हो वह क़तई (कदापि) और यक़ीनी (निश्चित) है, उसका इन्कार असंभव और

मूजिबे कुफ़्र है, और जिस अम्र (विषय) का घटित होना ज़रूरी और उसका इन्कार कुफ़्र का कारण हो वह अम्र ज़रुरियाते दीन (आवश्यक विषय) से है।

और ज़ाहिर है कि अहले किब्ला यानि मुसलमान अगर किसी बात का इन्कार भी करे तो उस वक़्त तक काफ़िर नहीं होता जबतक वह ज़रुरियाते दीन का इन्कार ना करे। (शर्ह मक़ासिद)। इस वक़्त ज़रुरते बेसत या सुबूते महेदियत पर कुछ अर्ज़ (वर्णन) करने का मौक़ा (अवसर) नहीं है अलबत्ता यह याद रखना चाहिये कि

मज़्हबे महेदवियह दूसरे मज़ाहिब की तरह बहस व मुबाहसा का नतीजा नहीं है बल्कि ऐन (मूल) इस्लाम है।

दीन और मज़्हब (धर्म) ख़ुदाइ अहकाम (ईश्वरीय आदेश) होने पर क़रीबन् विश्व की तमाम क़ौमें (जाति) सहमत हैं। धर्म की ग़रज़ो ग़ायत (उद्देश्य) अख़्लाक़ की दुरूस्ती और अल्लाह के हुक़ूक़ (अधिकार) और बंदों के हुक़ूक़ (मानव अधिकार) का पूरा करना है। जिस धर्म में इस ग़रज़ की तक्मील अधिकतर हो वह धर्म बेहतरीन (सर्व श्रेष्ठ) समझा जायेगा।

महेदवियत इस्लाम धर्म का ख़ुलासा (निचोड़) और उसका इत्रे अतीर (सुगंध) है और इस्लाम धर्म में दूसरे धर्मों की तुलना में यह ख़ूबी है कि इसकी तालीमात में यह उद्देश्य पूर्ण रुप में मौजूद है।

चुनाँचे इस्लाम के अस्ले उसूल (मूल आधार) क़ुरआन और हदीस हैं। उनके अहकाम इस उद्देश्य को जिस क़दर पूरा करते हैं, दूसरे अदयान (धर्म) इस उद्देश्य को पूरा नहीं करते, यहाँ तक कि मूसवी और ईसवी अदयान भी ख़ुदाई अहकाम के जामेअ (व्यापक) नहीं हैं।

इस्लाम में भी मुख़्तलिफ़ फ़िरक़े (संप्रदाय) हैं कि वह मज़ाहिब और फ़िरक़ौं में भी ख़ूबी का यही मेयार (स्तर) है कि वोह कहाँ तक इस उद्देश्य को पूरा करते हैं, और अस्ल यानि क़ुरआन और हदीस से कितने क़रीब हैं।

हमारा दावा है कि मज़्हब महेदविया दूसरे इस्लामी फ़िरक़ौं और मज़ाहिब की तुलना में अस्ल से बहुत क़रीब और इस उद्देश्य के पूरा करने में ख़ास

विशिष्टता और उत्तमता रखता और इस्लाम के अस्ले उसूल (मूल आधार) से ज़ियादा निकट संबंध रखता है।

बाज़ क़दीम और जदीद फ़िरके भी इस्लाम में मौजूद हैं। उन सब की तुलना में महेदविया के अहकाम क़ुरआन और हदीस के ठीक मुताबिक़ (अनुरूप) और इफ़्रातो - तफ़्रीत (कमी - बेशी) से मुबर्रा (मुक्त) है ओर हुक़ूक़ुलाह और हुक़ूक़ुल-इबाद के उद्देश्य पर पूरी तरह हावी (प्रभावी) हैं।

इस ग़रज़ (उद्देश्य) को समझने के लिये हज़रत इमामुना महेदी मैऊद अले० की सीरत का मुताला (अध्ययन) और आप की तालीमात और मज़्हबी अहकाम की जानकारी हासिला करना हर मुसद्दिक़ का फ़र्ज़ है।

मर्कज़ी अंजुमने महेदविया चंचलगुडा, हैदराबाद के निवेदन पर मैं ने यह मुख़्तसर रिसाला अपनी बिज़ाअत के मुवाफ़िक़ लिखा है जो बुहत ही मुख़्तसर (संक्षिप्त) है और जिसमें बुहत सारे मसाइल और मबाहिस (विषय) रह गये हैं। क़ौम के उलमा से निवेदन है कि वह इसके सहवो ज़िलल् (भूल-चूक) की इस्लाह फ़र्माऐं और बक़िया मबाहिस की तकमील करके क़ौम को मुस्तफ़ीद करें और इंदल्लाह सवाब पाऐं। फ़क़त

बेसते महेदी मौऊद अले० अहादीस की रौश्नी में

तमाम मुसलमान जानते हैं कि अहले सुन्नत के दो बड़े गिरोह हैं - एक मुतकल्लिमीन और दूसरे मुहक़्क़िक़ीन या सूफ़ियाए किराम। इन दोनों के उसूल (नियम) आपस में मुख़्तलिफ़ (विभिन्न) हैं अगरचे उन दोनों का माख़ज़ (संदर्भ) क़ुरआन शरीफ़ और अहादीसे रसूलुल्लाह मल्ला० ही हैं, लेकिन उनके इस्तिदलाल (तर्क) का तरीफ़ा एक दूसरे से अलग है, और हर एक की इस्तिलाहात (पारिभाषिक शब्द) और मसाइल (समस्या) जुदा जुदा हैं, लेकिन लाखों करोड़ों अहले सुन्नत जो सूफ़ियाए किराम और औलियाए उज़्ज़ाम से अक़ीदत और उस मसलक (पंथ) के निकात और रूमूज़ात (रहस्य) की जानकारी रखते हैं, कभी उन मसाइल को अहले सुन्नत के ख़िलाफ़ कहकर ख़ुद को मूरिदे इलज़ाम (आरोपी) क़रार दे लेने की जुरअत नहीं करते। पस हज़रत महेदी अले० की ज़ाते अक़्दस के बारे में ख़ातिमे दीन, ख़ातिमुल औलिया और ख़ातिमे विलायते महम्मदिया के अलक़ाबात (उपाधि) मुहक़्क़िक़ीने अहले सुन्नत के क़रारदह (दिये हुवे) हैं।

यह आम क़ाश्दा (साधारण नियम) सब जानते हैं कि किसी विशेष व्यक्ति के सम्बंध में जो इत्लाक़ात (विशेष अर्थ) या अहकाम आइद होते हैं वह या तो उसकी ज़ात से मुतअल्लिक़ होते हैं या उसके किसी मंसब (पद) या हैसियत (प्रतिष्ठा) से तअल्लुक़ रखते हैं। जो अहकाम (आदेश) और इत्लाक़ात किसी मंसब और हैसियत से संबंधित होते हैं वह उस मंसब से क़तए - नज़र (उपेक्षा) करके कभी आइद नहीं किये जाते। मसलन् ज़ैद एक सरकारी उच्च पदाधिकारी है। वह तमाम अधिकार और सम्मान जो उसको इस पद के कारण हासिल हैं वह उसके ख़ास पद ही से संबंधित होंगे। अगर कोई कहे कि ज़ैद को यह अधिकार और सम्मान क्यों और किस तरह हासिल हैं तो उसका जवाब यही होगा कि उसको इस पद के कारण हासिल हैं या उसके पद से संबंधित यह लवाज़िमात (आवश्यकताऐं) हैं।

इस उसूल पर हम सब मुसलमान हज़रत सर्वरे काइनात अहमदे मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० की ज़ाते अक़्दस के संबंध में जिन फ़ज़ाइल (प्रतिष्ठा) का एतिक़ाद रखते हैं, मसलन् हज़रत का मासूम अनिल ख़ता (निर्दोष) होना,

हज़रत की तस्दीक़ (प्रमाणता) तमाम मानव जाति पर सार्वजनिक रूप से फ़र्ज़ (अनिवार्य) होना और हज़रत का इंकार कुफ़्र होना वग़ैरा, वह आपके अल्लाह के ख़लीफ़ा, रसूले सादिक़ (सच्चे रसूल), पैग़म्बरे बरहक़ और ख़ातिमुन् - नबीईन सय्यदुल मुर्सलीन होने की हैसियत से रखते हैं, नाकि सिर्फ़ मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह होने के एतिबार से। बाज़ ग़ैर मुस्लिम हज़रात और दूसरे अक़्वाम ने हज़रत की उस ज़ाते अक़्दस को उन आला हैसियत से क़तऐ-बज़र करके सिर्फ़ ज़ाते मुहम्मद सल्ला० पर उन फ़ज़ाइल का इत्लाक़ (प्रयोग) करने की कोशिष की है।

इसी तह महेदविया भी जिन फ़ज़ाइल और कमालात को हज़रत सय्यद मुहम्मद जोनपूरी अले० की ज़ाते अक़्दस से मुतअल्लिक़ होने का एतिक़ाद रखते हैं वह आपके महेदीए मौऊद, ख़लीफ़तुल्लाह, मासूम अनिल ख़ता या सूफ़ियाए किराम की इस्तिलाह (परिभाषा) में ख़ातिमुल - औलिया, और आपकी तस्दीक़ फ़र्ज़ होने और इंकार कुफ़्र होने का जो एतिक़ाद रखते हैं, वह आपके महदीए मौऊद और ख़लीफ़तुल्लाह होने की हैसियत से रखते हैं। पस जिन लोगों ने हज़रत की आला और मुम्ताज़ (विशिष्ट) हैसियत और मंसब (प्रतिष्ठ पद) से हट कर महेदविया के अक़ाइद को केवल हज़रत सय्यद मुहम्मद जोनपूर की ज़ात (व्यक्तित्व) से वाबस्ता करके दिखलाने का प्रयास किया है वह सहीह (उचित) नहीं है। अगर उसके बजाए यह बात तहक़ीक़ तलब (जांच पड़ताल योग्य) क़रार दी जाये कि हज़रत महेदीए मौऊद अले० की निस्बत ऐसा एतिक़ाद रखना सहीह है या नहीं तो अस्ल मुआमला (मुल विष्य) साफ़ (स्पष्ट) होजाता है कि यह अक़ाइद महेदविया से मख़सूस (विशेष) हैं या अहले सुन्नत के महान उलमा भी इन अक़ाइद को स्वीकार करते हैं।

इस नियम को ध्यान में रखना चाहिये कि ख़स्म (शत्रु) के जिस क़दर मुसल्लमात (प्रमानित) हों वह सब फ़रीक़े मुक़ाविल (प्रति पक्ष) के मुसल्लमात से होना ज़रुरी नहीं है। चुनांचे किसी विशेष व्यक्ति के बाज़ अक़्वाल (प्वचन) और दलाइल (तर्क) को मुनाज़रा (धार्मिक वाद विवाद) के समय पेश करना बतौर हुज्जते इल्ज़ामी (आरोपी तर्क) के होता है, उस से उसके दूसरे अक़्वालो दलाइल को तस्लीम करना लाज़िम नहीं आता। यही कारण है कि क़ानूनन भी दोनों पक्षौं में से एक पक्ष के मुवाफ़िक़ (उपयुक्त) बयान से दूसरा पक्ष हुच्चत ले सकता है,

लेकिन उसी पक्ष के मुख़लिफ़ (प्रतिकूल) बयान से प्रतिपक्ष पर आरोप स्थापित नहीं हो सकता। तमाम मज़्हबी मसाइल में यही नियम ध्यान में रहा है और मुनाज़रा का आम क़ाइदा भी यही है।

इस अवसर पर जो भी दलाइल ज़िकर किये गये हैं उनमें से बाज़ तो वह क़तई दलाइल (अटल तर्क) हैं कि जिन का मान्ना हर मुसलमान पर वाजिब (अनिवार्य) है, जैसे आयाते क़ुरआनी और सहीह अहादीसे रिसालत पनाही। उनके अलावा गैर सहीह अहादीस से हुज्जत करना और बाज़ मुहद्दिसीन और उलमा का अपने ज़ाती अक़्वाल (प्रवचन) और विचार पेश करना, इस नियमानुसार हमारे मुसल्लमात से होना ज़रुरी नहीं है। पस जिस तरह हर मोतबर (विश्वसनीय) और ग़ैर मोतबर इस्लामी कुतुब में जो बात भी मौजूद हो उसको कोई मुआनिदे इसलाम (विरोधी) पेश करके आँहज़रत सल्ला० या इस्लाम धर्म पर एतेराज़ (विरोध) नहीं कर सकता जब तक उसकी निस्बन (संबंध) आँहज़रत सल्ला० की तरफ़ सहीह ना साबित करे। इसी तरह किसी विरोधी का किसी भी महेदवी मुअल्लिफ़ (संपादक) की किताब में जो बात लिखी हो उसको पेश करके हज़रत महेदी अले० या मज़्हबे महेदविया पर कोई एतेराज़ करना सहीह नही होसकता जब तक उसकी निस्बत हज़रत इमामुना महेदीए मौऊद की तरफ़ सहीह ना साबित हो या वह क़ौलो-फ़ेल (कथन और कर्म) और अक़ीदा महेदविया के मुसल्लमात से न हो।

इस मुख़्तसर तमहीद (भूमिका) और तब्सिरा (समीक्षा) के बाद यह दिलचस्प बहस की जाती है कि अहादीसे सहीहा (प्रमाणित) की रौशनी में महेदी अले० के ज़ुहूर (प्रकट होन) का एतिक़ाद रखना एक मुसलमान के लिये कहाँ तक ज़रुरी है। गुज़श्ता ज़माने के हालात या आनेवाले समय में होने वाले वाक़िआत की सूचना अल्लाह की जानिब से या उन नुफ़ूसे क़ुदसिया (देवदूत) के माध्यम से जो इल्मे ग़ैबे अज़ली (अनादिकालीन भेद ज्ञान) से मुअय्यिद (समर्थक) हैं हम तक पहुंचे तो उसको शरई इस्तिलाह (धार्मिक परिभाषा) में ख़बरे मुग़य्यब (छिपी हुवी ईश्वरीय भेद) कहा जाता है। लेकिन अधिकतर ख़बरे मुग़य्यब का इत्लाक़ (प्रयोग) उन वाक़िआत पर किया जाता है जो भविष्य काल से संबंधित हैं और जिनका ज़ुहूर आने वाले ज़माने में होने वाला है। उन अख़बारे मुग़य्यब में बाज़

तो ऐसे हैं जो ख़ुदाए तआला की तरफ़ से किसी नबी या उसकी उम्मत को दिये गये है। चुनाँचे ख़ुदाए तआला ने अंबियाए साबिक़ीन (भूतपूर्व ईश्वर-दूत) पर जो किताबें नाज़िल फ़र्माई (उतारी) है उनमें इस क़िसम के अनगिनत अख़बारे मुग़य्यब पाये जाते है जिनमें ख़ुदा तआला ने आइंदा किसी वाक़िआ की या किसी नबी के ज़ुहूर की सूचना दी है। मसलन् ख़ुदा तआला ने हज़रत इब्राहीम अले० की बीवी सारा के विष्य में फ़र्मायाः

''हमने सारा को बशारत दी कि तुमको इस्हाक़ पैदा होंगे और फिर इस्हाक़ को याक़ूब'' (हूद १ १छ७ १)

हज़रत इब्राहीम अले० ने दुआ की थी कि।

''ए मेरे रब मुझे एक सालेह लड़का अता फ़मा, तो हमने उनको शुभ सूचना दी कि तुम को एक हलीम (सहनशील) लड़का (इस्माईल अले०) पैदा होंगे''। (३ ७छ१ ० ०, १ ० १)

बाज़ अख़बारे मुग़य्यब ऐसे है कि वह ख़ुद किसी नबी का क़ौल हैं जो उन्हों ने अपने मुत्तबईन (अनुसरण कर्ता) से कहा है। मसलन् हज़रत मूसा और हज़रत ईसा अलैहिमस्सलाम की पेशीन ग़ोइयाँ हैं जो उन्होंने ने हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० के ज़ुहूर के विषय में फ़र्माइ हैं इसी क़बील (श्रेणी) से हैं।

अल्लाह की इसी आदत और अम्बिया की सुन्नत के मुवाफ़िक़ क़ुरआन शरीफ़ और अहादीसे रसूले अक्रम सल्ला० में भी बहुत से अख़बारे मुग़य्यब पाये जाते हैं। मसलन् ख़ुदा तआला फ़र्माता है।

''रोमी अहले ईरान के मुक़ाबले में मग़लूब (पराजित) हो गये हैं लेकिन यह लोग चंद साल में अहले ईरान पर फिर ग़ालिब (विजयी) आ जायेंगे''। (अर-रोम ३ ०:२)

और इस प्रकार की ख़बरे मुग़य्यब भी ऐसे वाक़िआत के विषय में दी गई है जो आयत नाज़िल होने के वक़्त ज़ुहूर पिज़ीर (घटित) नहीं हुवे थे और बाद में उनका ज़ुहूर होने वाला था। चुनाँचे उसकी तफ़्सील आगे आती है।

रसूलुल्लाह सल्ला० की अहादीस में भी अनगिनत अख़बारे मुग़य्यब मौजूद हैं। मसलन् सराक़ा रज़ी० को आप का इर्शाद कि। ''वह वक़्त कैसा होगा जब तुम्हें कसरा के कंगन पहनाये जायेंगे'' या फ़र्मायाः ''उस वक़्त तक क़यामत नहीं आयेगी जब तक कि हिजाज़ में ऐसी आग न लगे जिस से बसरा में ऊंट की गर्दनें दिखाई दें''। लेकिन यह बात भी ध्यान में रहे कि इन इस्लामी उख़बारे मुग़य्यब में भी ख़ाह क़ुरआन शरीफ़ में मज़कूर (कथित) हुवे हों या अहादीसे रिसालत पनाही में, उन सब में अख़बारे मुग़य्यब के लवाज़िमात मसलन ईहाम (भ्रम), इब्हाम (अस्पष्टता), इज्माल (संक्षेप), किनाया (संकेत) वग़ैरा अकसर मल्हूज़ रहे हैं, और तफ़्सील (विस्तृत वर्णन) और तसरीह (स्पष्टी करण) से बूहत कम काम लिया गया है। इसी लिये उनमें से बाज़ के विषय में सहीह राए (ठीक विचार) क़ाइम करने में मावशुमा (हम-तुम) का तो ज़िकर क्या है ख़ुद जलीलुल - क़द्र (अति प्रतिष्ठित) सहाबा रज़ी० भी क़ासिर (असमर्थ) रहे हैं। चुनांचे रुम की जीत के बारे में हज़रत अबूबक्र सिद्दीक़ रज़ी० ने उबइ बिन ख़लफ़ से तीन साल की शर्त बांधी और हज़रत रसूलुल्लाह सल्ला० से ज़िकर किया तो आप ने फ़र्माया कि अहले ईरान पर अहले रूम की जीत के बारे में ख़ुदा तआला ने चंद (साल) का शब्द इस्तेमाल फ़र्माया है और चंद का अर्थ तीन से नौ (साल) तक है। तुम शर्त की मुद्दत (अवधि) बढ़ा दो और शर्त की मिक़्दार (मात्रा) ज़ियादा कर दो। जिस पर हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० ने शर्त की मुद्दत तीन साल से नौ साल और शर्त की मिक़्दार दस ऊंट से बढ़ा कर सौ ऊंट करदी। चुनांचे ७ हिज्री के आरंभ में सुलह हुदैबिया के दिन रूमियों को ईरानियौं पर विजयी प्रप्त हुवी।

इसी तरह हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ी० और बाज़ दूसरे सहाबा ने जब रसूलुल्लाह सल्ला० से मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िल होने की पेशीन गोई सुनी तो यह अनुमान लगाया कि इसी साल ऐसा वाक़िआ होगा। चुनांचे जब हुदेबिया की सुलह हुवी और यहीं से मक्का गये बग़ैर वापसी तय हुवी तो उन्हों ने आँहज़रत से दरयाफ़त किया कि आप ने तो फ़र्माया था कि हम मक्का में दाख़िल होंगे फिर मक्का में प्रवेश किये बिना वापसी कैसी? तो हज़रत रसूले ख़ुदा सल्ला० ने फ़र्माया कि मैंने यह कब कहा था कि यह वाक़िआ इसी साल होगा। चुनाँचे इस घटना के विष्य में यह आयत नाज़िता हुवी। *''अल्लाह तआला ने अपने रसूल*

सल्ला० को सच्चा ख़्वाब (स्वप्न) दिखाया कि तुम अवश्य मस्जिदे हराम में दाख़िल होंगे''। (४८:२७)

चुनाँचे उसका ज़ुहूर कई साल के बाद फ़तहे मक्का के समय हुवा तो लोगों को यक़ीन हुवा कि अल्लाह और रसूल सल्ला० का वादा सच्चा था, और उसके ज़ुहूर का यह समय था।

रसूलुल्लाह सल्ला० ने सराक़ा रज़ी० को कसरा (ईरान के राजा) के कंगन पहन्ने की जो सूचना दी ती उसमें यह स्पष्ट नहीं था कि यह वाक़िआ कब और किस तरह होगा। मुम्किन है किसी कम आस्था वाले और ऊपरी कारणों पर नज़र रखने वाले को उस समय के हालात के एतिबार से उस समय उस पर पूरा ईमान और विश्वास न हो, लेकिन जब हज़रत उमर फ़ारुक़ रज़ी० के ज़मानए ख़िलाफ़त में मुसलमानों ने ईरान फ़तह किया और माले ग़नीमत मदीना मुनव्वरा में पहुंचा तो उसमें कसरा के कंगन भी थे। जब हज़रत उमर रज़ी० के सामने माले ग़नीमत पेश हुवा तो आप ने सराक़ा को यह कंगन पहनाए और फ़र्माया ख़ुदा का शुक्र है कि उसने अपने रसूल सल्ला० की पेशीन गोई सच्ची कर दिखाइ।

यही चंद अख़बारे मुग़य्यब नहीं जिनका यहाँ ज़िकर किया गया है। इसी प्रकार के और बहुत से अख़बारे मुग़य्यब क़ुरआन शरीफ़ और अहादीस में मज़्कूर हैं। मसलन आख़िर ज़माने में दीन का ज़ईफ़ (दुरबल) होना, और अहले ज़माना में फ़सादात (दंगे) का होना, अलामाते क़यामत जैसे पश्चिम से सूर्योदय होना, दाब्बतुल-अर्ज़ का निकलना, याजूज-माजूज का ख़ुरूज (प्रकटन), सूर का फूंका जाना, मुरदों का क़ब्र से उठना, हिसाबो किताब, वज़्ने आमाल, मीज़ान, सिरात, स्वर्ग और नरक, अज़ाबे क़ब्र, हौज़े कौसर वग़ैरा उनगिनत विषय सब अख़बारे मुग़य्यब ही हैं जिनकी सूचना शारेअ की तरफ़ से घटित होने से पहले दी गई है। क़रीबन तमाम अहले इस्लाम का यह एतिक़ाद है कि यह तमाम अख़बारे मुग़य्यब जो ख़ुदा और रसूल सल्ला० ने दिये हैं वह सब हक़ (सत्य) हैं और उनका ज़ुहूर यक़ीनी है।

हज़रत महेदी अले० के ज़ुहूर के विषय में भी जो अहकाम और अहादीस वारिद (आये) है वह भी ख़बरे मुग़य्यब ही है जो दूसरे अख़बारे मुग़य्यब की तरह

क़ुरआन और अहादीस में ख़ुदा और रसूल सल्ला० की तरफ़ से उम्मत को दी गई हैं। चुनाँचे आयाते क़ुरआनी में उसकी तरफ़ ईमा (इशारा) किया गया है और अहादीसे रिसालत पनाही में इस इब्हाम (भ्रम) की वज़ाहत (स्पष्टीकरण) और इस इज्माल (सारांश) का बयान मौजूद है। महेदी अले० से संबंधित अहादीस भी दूसरे इस्लामी अख़बारे मुग़य्यब से अपनी नौइयत (प्रकार) और माख़ज़ (प्रसंग) के एतिबार से पूरे मुताबिक़ (अनुसार) हैं। इसी तरह यह अख़बार (सूचनाऐं) इस लिहाज़ से कि उनके ज़रीए आइंदा ज़ुहूर पिज़ीर (प्रकट) होने वाले मुबश्शिर (शुभ सूचना देने वाले) की बशारत दी गइ है, उन अख़बारे मुग़य्यब से जो कुतुबे साबिक़ीन में नबीए आख़िरुज़्ज़माँ की बेसत के विषय में दी गइ हैं पूरी मुमासलत (समानता) रखते हैं। पस दूसरे इस्लामी और साबिक़ा (पूर्व) अख़बारे मुग़य्यब के विषय में जिस प्रकार बहस की जाती है और उनसे जिस तरह अहकाम मुस्तख़रज (ग्रहण) होते हैं, महेदी अले० से संबंधित इन अहादीस से भी उसी तरह बहस करना और उसी तरह का इस्तिख़राज (निष्कासन) होना चाहिये।

हज़रत ख़ातिमुन - नबीईन सर्वरे काइनात मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० की बेसत की ज़रुरत और आप की नबूवत और रिसालत के इस्बात (प्रमाणीकरण) के लिये जिस तरह आँहज़रत सल्ला० के अख़लाक़ो आदात (स्वभाव), अहले ज़माना के हालात, आपके पुर अज़ हिक्मत (ज्ञान से भरे हुए) अहकाम और इर्शादात (निर्देश), साबिक़ा अंबिया की बशारत वग़ैरा जिन-जिन कारणो और दलाइल (तर्क) से इस्तिदलाल किया जाता है बिलकुल उसी तरह हज़रत महेदी अले० की बेसत और ज़रुरत पर भी उन तमाम उमूर से बहस की जासकती है, लेकिन इस वक़्त हम सिर्फ़ ख़ुदा और रसूल सल्ला० के अहकाम से बहस करेंगे, क्योंकि ख़ुदा और रसूल सल्ला० के फ़रामीन (आदेशों) में ही हर सवाल का जवाब मौजूद है और तमाम मुसलमानों के लिये वाजिबुल - एतिकाद (आस्था रखना आवश्यक) और वाज़िबुल - अमल (जिस का करना परम आवश्यक हो) हैं। तमाम इस्लामी अक़ाइद और आमाल में बाज़ तो ऐसे हैं जिन की तफ़्सील क़ुरआन शरीफ़ में नहीं है, और वह हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्ला० की अहादीसे शरीफ़ा ही से साबित हैं। मसलन् क़ुरआन शरीफ़ में *"नमाज़ क़ायम करो और ज़कात अदा करो" (२:४३)* का हुक्म दिया गया है और अहादीस ही

से यह तफ़सील मालूम होती है कि नमाज़ किस तरह पढ़ी जाये, अर्कांने नमाज़ किस तर्तीब (क्रम) से अदा किये जायें, और किस चीज़ की ज़कात किस मात्रा में अदा की जाये, और कौन व्यक्ति अदा करे और कब अदा करे। इसी तरह इस्लामी अहकाम में ऐसी बुहूत सारी मिसालें मिलती है मसलन मेअराज, मस्ह ख़ुफ़्फ़ैन (जुराबों पर गीला हाथ फेरना), क़ब्र का अज़ाब (प्रकोप) और नमाज़ की तर्तीब वग़ैरा कई मसाइल हैं जो क़ुरआन शरीफ़ में स्पष्ट रूप से ज़िक्र नहीं किये गये हैं और अहादीस ही से उनकी तफ़सील मालूम होती है। अगली सुतूर में सिर्फ़ हदीस के उसूल (नियम) और फ़रामीने रिसालत पनाही सल्ला० की रौशनी में यह दिखाना मक़सूद है कि महेदी अले० की बेसत के विषय में जो अहादीस आई हैं उनमें अधिकतर ऐसी सहीह और मुस्तनद (प्रमाणित) हैं कि उन अहादीस के अनुसार महेदी अले० की बेसत ज़रुरी होने का एतिक़ाद रखना हर मुसलमान के लिये लाज़िम और ज़रुरी (अनिवार्य) है। इस लिये सिर्फ़ रसूलुल्लाह सल्ला० की अहादीस की रौश्नी में महेदी अले० के ज़ुहूर के विषय को अहले सुन्नत के उसूल और ज़वाबित (प्रणाली) के मुताबिक़ वाज़ेह करके दिखाने पर इक्तिफ़ा किया जाता है।

महेदी अले० की बेसत के विषय में जो अहादीसे शरीफ़ा आई हैं वह दूसरे इस्लामी अहकाम और मसाइल के विषय में आइ हुवी अहादीस की तुलना में रिवायत (वर्णन) की कस्रत (अधिकता), तादाद (संख्या) की कसरत और जामिईयत (व्यापकता) के लिहाज़ (दृष्टिकोण) से बुहत ज़ियादा हैं। मुल्ला अली क़ारी का क़ौल है कि महेदी अले० की बेसत के विषय में तीन सौ हदीसें मर्वी (बयान की गइ) हैं। (अल-मश्रबुल वरदी फ़ी मज़हबिल महेदी)। अल्लामा बरज़ंजी अपनी किताब ''इशाआ फ़ी अशरातिस् - साआ'' में लिखते है।

> *''महेदी अले० के विषय में जो अहादीस मुख़्तलिफ़ रिवायतौं से आई हैं उनका हसर (गिंती) नहीं किया जा सकता। अगर हम उनकी तफ़्सील बयान करें तो किताब तवील हो जायेगी और यह किताब के मौज़ू (विषय) से ख़ारिज (बाहेर) हैं।''*

महेदी अले० के विषय में यह अहादीस जिन कसीर तादाद सहाबा ने बयान की हैं उनमें ऐसे जलीलुलक़द्र (अति प्रतिष्ठित) सहाबा भी हैं जिनकी

रिवायत मुरज्जह (प्राथमिकता के योग्य) समझी जाती है और सहाबा की इतनी कसीर तादाद दूसरे मसाइल में कम पाइ जाती है। चुनाँचे महेदी अले० की बेसत के बारे में जिन आदरणीय सहाब ने अहादीसे शरीफ़ा बयान की हैं उनके नाम यह है।

अली बिन अबी तालिब, हुसैन इब्ने अली, अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हुज़ैफ़, जाबिर इब्ने अब्दुल्लाह, अबू हुरैरा, सईद इब्ने मुसय्यब, अबू अय्यूब अन्सारी, अम्मार बिन यासिर, सौबान, अबू ज़र ग़फ़्फ़ारी, औफ़ बिन मालिक, ज़हरी, आईशा, उम्मे सल्मा, उम्मे हबीबा, अबूसईद ख़ुदरी, अनस इब्ने मालिक, अब्दुर्रहमान इब्ने औफ़, क़ुर्रत इब्ने अयास, तल्हा, अली अल-हिलाल, काअब, क़ुर्रतुल मुज़्नी, अबू तुफ़ैल रज़ीअल्लाहु अन्हुम अज्मईन।

इसी तरह महेदी अले० से संबंधित अहादीस की जिन सम्मनित मुहद्दिसीन ने अपनी-अपनी सिहाह और मसानीद या अहादीस के मजमुए (संग्रह) में रिवायत किया है उनकी तादाद तीस पैंतीस तक पहुंचती है और उनमें मश्हूर-मश्हूर (प्रसिद) मुहद्दिसीन और अइम्मसए हदीस शामिल हैं, मसलन, इमाम अहमद बिन हंबल, अबू दाऊद, इब्ने माजा, तिरमिज़ी, तब्रानी, हाकिम, अबू नुएम, नईम बिन हम्माद, दारक़ुत्नी, बावुरदी, अबू याअला, बज़्ज़ार, इब्ने असाकिर, इब्ने मुंदा, रुयानी, अबू ख़ुज़ैमा, अबू अवाना, अबुल हसन ख़िज़्ली, अम्र इब्ने शैबा, आमिर, अबू बक्र मुक़री, ख़तीब, इब्ने सअद, मुहामिली, अबू अम्र इब्न अद-दानी, इब्नल जौज़ी, अबू ग़नम अल-कूफ़ी, अबुल हसल अल-मनावी, अबू बक्र अल- अस्काफ़, इब्ने कसीर, क़ुरतुबी, इसन बिन सुफ़्यान वग़ैरा। इन मज़्कूरा मुहद्दिसीन ने अपनी - अपनी तालीफ़ात (संपादन) में किताबुल - फ़ितन या किताबुल क़ियामत बग़ैरा अब्वाब और फ़ुसूल (अध्याय) के तहत अहादासी महेदी का ज़िक्र किया है और बाज़ ने ज़ुहूरे महेदी का ख़ास बाब बांधा है।

इसके अलावा कई मश्हूर मुहद्दिसीन और उलमाए अहले सुन्नत ने उन अहादीस के ख़ास मजमूअे तय्यार किये हैं और उनमें सिर्फ़ उन अहादीस का ज़िक्र किया है जो हज़रत महेदी अले० की शान में वारिद (आइ) हैं मसलनः

१) अल-इक़दुद् दुरर फ़ी अहादी सिल महेदी अल- मुंतज़र लेखक - फ़ाज़िल अल-अल्लामा यूसुफ़ बिन याहिया अली अल - मक़्दसी अश-शाफ़ई

२) अल अरफ़ुल वर्दी फ़ी अख़बारिल महेदी - अल्लामा हाफ़िज़ जलालुद्दीन सुयूती

३) अल - क़ौलुल मुख़्तसर फ़ी अलामातिल महेदी अल - मुंतज़र लेखक - शेख़ इब्ने हजर अल-हैतमी अश-शाफ़इ

४) अल-बुर्हान फ़ी अलामात महेदी आख़रुज़्ज़माँ - मुल्ला अली मुत्तक़ी

५) अल-मश्रबुल वर्दी फ़ी मज़्हबिल महेदी - मुल्ला अली क़ारी

६) अत - तौज़ीह फ़ी तवातुर मा जाआ फ़िल महेदी अल-मुंतज़र वल - मसीह - इमाम शौकानी

अहादीसे महेदी अले० की तुलना में दूसरे इस्लामी अक़ाइद और आमाल से मुतअल्लिक़ जो अहादीस आई हैं उनकी रिवायत सिर्फ़ बाज़ सहाबा से की गई है और उन अहादीस का बाज़-बाज़ (कुछ) मुहद्दिसीन ने ज़िक्र किया है। उनको वह अहम्मियत (महत्व) और अज़मत (महिमा) हासिल नहीं जो महेदी अले० से संबंधित अहादीस को हासिल है। ग़रज़ उन अख़बार (संदेश) और अहादीसे महेदी की रिवायत (वर्णन) और तख़रीज भी जलीलुलक़द्र मुहद्दिसीन ने अपनी - अपनी सिहाह और मसानीद में की है, और बाज़ मुहद्दिसीन ने इस विषय पर ख़ास (विशेष) रिसाले (पुस्तिका) लिखे हैं और उनमें सिर्फ़ महेदी अले० से संबंधित अहादीस का ज़िक्र किया है। अहादीसे महेदी अले० की तुलना में दूसरे अख़बारे मुग़य्यब की रिवायत सिर्फ़ बाज़ सहाबा ने की है जिनके ज़ुहूर पिज़ीर (घटित) होने पर हम ग़ैर मुस्लिम क़ौमों की तुलना में हमारे पैग़म्बर मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० की नबूवत की सेहत (सत्यता) पर हुज्जत (तर्क) लाते हैं, जैसे हिजाज़ में आग प्रकट होना, कसरा के शासन की समाप्ती, तातार का आक्रमण वग़ैरा। इसकी तुलना में महेदी अले० के विषय में अहादीस कसीर तादाद में (बहुसंख्या) और महान सहाबा रज़ी० से मर्वी (वर्णन किये गये) हैं। इन सहाबा की संख्या की अधिकता के अलावा अहादीस के अधिक संख्या के कारण दूसरे अख़बारे मुग़य्यब की तुलना में अहादीसे महेदी अले० को इम्तियाज़ (विशिष्टता) हासिल है, क्योंकि

दूसरे अख़बारे मुग़य्यब के बारे में जितने अहादीस आये हैं उनसे महेदी अले० के विषय में आये हुए अख़बार (सूचनाऐं) बुहत ज़ियादा है। चुनाँचे ऊपर लिखा जा चुका है कि सहीह तादाद बताने के बारे में मुहद्दिसीन का बयान मुख़्तलिफ़ है, क्योंकि जिसको जितनी हदीसें पहुंचीं उसने उतनी ही तादाद बयान करदी। चुनांचे बाज़ ने अहादीस की तादाद तीन सौ तक बताइ है। यही वजह है कि मश्हूर मुहद्दिसीन और अहले सुन्नत के महान उलमा अहादीसे महेदी अले० के मुतवातिर (निरंतर बयान की गई अहादीस) होने के क़ाइल (स्वीकार कर्ता) हैं, यानि महेदी अले० की बेसत के बारे में रसूलुल्लाह सल्ला० से जो हदीसें रिवायत की गई हैं वह तवातुरे मानवी की हद तक पहुंची हुवी हैं। चुनांचे इमाम मुहम्मद बिन अहमद अल-अन्सारी अल-क़ुरतुबी ''तज़्कि रतुल - क़ुरतुबी'' में लिखते हैं।

''रसूलुल्लाह सल्ला० से महेदी अले० के विषय में राविय़ौं (वर्णन कर्ता) की कसरत के साथ मुतवातिर और मुस्तफ़िज़ (लाभ दायक) अख़बार वारिद (आये) हैं और यह कि महेदी अले० आँहज़रत सल्ला० के अहले बैत से हैं।''

शेख़ इब्ने हजर अल - हैतमी ''अल-क़ौलुल मख़्तसर क़ी अलामातिल महेदी अल-मुंतज़र'' मे लिखते हैं।

''बाज़ हुफ़्फ़ाज़े हदीस का क़ौल है कि महेदी अले० का आले रसूल से होना रसूलुल्लाह सल्ला० से तवातुरन मर्वी है।''

शेख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी ''लमआत शर्ह मिश्कात'' में लिखते है।

''महेदी अले० के विषय में मुतवातिरुल माना (निरंतर वर्णन जिसका अर्थ समान हो) हदीसें बयान की गई है।, और महेदी अले० के रसूलुल्लाह सल्ला० के अहले बैत से होने और फ़ातिमा रज़ी० की औलाद से होने की हदीसें तवातुरे मानवी की हद को पहुंच गई है।''

मुल्ला अली अल-क़ारी अल-हरवी ''अल-मश्रबुल वरदी फ़ी मज़्हबिल महेदी'' में लिखते हैं।

''महेदी अले० की बेसत और आपके आँहज़रत सल्ला० के अहले बैत से होने के बारे में अहादीसे मुतवातिरा वारिद हैं।''

अल्लामा सय्यद मुहम्मद बिन अब्दुर रसूल अल-बर्ज़ंजी अल-मदनी ''इशाआ फ़ी अश्रातिस - साआ में लिखते हैं।

''महेदी अले० का वुजूद और आप के आख़िर ज़माने में पैदा होने और आपके रसूल सल्ला० की इतरत (संतान) यानि फ़ातिमा रज़ी० की औलाद से होने की अहादीस तवातुरे मानवी की हद तक पहुंच गई हैं, उनके इंकार की कोई वज्ह नहीं है। इसी लिये यह हदीस आई है कि जिसने दज्जाल का इंकार किया वह काफ़िर है और जिसने महेदी का इंकार किया वह काफ़िर है। इस हदीस को अबू बक्र अस्काफ़ ने ''फ़वाइदुल अख़बार'' में और अबुल क़ासिम सुहेली ने अपनी ''शर्हुस-सियर'' में रिवायत की है।''

बहरूल उलूम अल्लामा अब्दुल अली मलिकुल उलमा ''अश्रातुस-साअ'' में लिखते हैं।

''इमाम महेदी की बेसत को साबित करने वाली हदीसें बहुत हैं और तवातुरे मानवी की हद तक पहुंच गई हैं।''

इस से ज़ाहिर (स्पष्ट) है कि मुहद्दिसीन और उम्मत के उलमा यह स्वीकार करते हैं कि महेदी अले० से संबंधित अहादीस मुतवातिर हैं, और यह सहीह भी हों क्योंकि मुख़्बिरे सादिक़ (सच्चे सूचक) से जो अहादीस बयान की गई हैं अगर हर तबक़े (वर्ग) के रावी कसीर (अधिक) हों (जिनकी कम से कम हद चार है) तो ऐसी हदीस को मुतवातिर कहते हैं। अगर रिवायत (वर्णन) के तमाम सिल्सिलों (क्रम) में उनही अल्फ़ाज़ (शब्द) से रिवायत हुवी तो ऐसी हदीस को मुतवातिरुल - लफ़्ज़ वल - माना कहेंगे, और अगर तमाम तुर्क़े असनाद (वर्णन कर्ता के क्रम) में अल्फ़ाज़ मुत्तहिद (समान) नहों लेकिन सबका मज़्मून (विषय), माना और मत्लब (अर्थ) एक ही हो तो ऐसी अहादीस मुतवातिरुल-माना कहलाते हैं। इन दोनों अहादीस यानि मुतवातिरु-लफ़्ज़ और मुतवातिरुल-माना के हुक्म में कोई फ़र्क़ नहीं होता, और ज़हिर है कि वह अहादीसे शरीफ़ा जो महेदी

अले० के वुजूद को साबित करती हैं अपनी तादाद की कसरत और रावियौं की कसरत के कारण मुतवातिर की किसी न किसी तारीफ़ (परिभाषा) में ज़रुर दाख़िल हैं।

यह बात याद रखने योग्य है कि मुहद्दिसीन और अइम्मए उसूल (मुल आधार शास्त्र के विद्वान) का यह मुसल्लमा ज़ाबिता (परिमाणित नियम) है कि हदीसे मुतवातिर से इल्मे यक़ीनी और इज़्तिरारी (निश्चित ज्ञान) हासिल होता है, यानि हर मुसलमान इस विषय पर यक़ीन (विश्वास) करने पर मज्बूर (विवश) है कि जो अल्फ़ाज़ या जो मफ़्हूम (भावार्थ) उस हदीस से साबित हो रहा है उसकी निस्बत हज़रत सर्वरे काइनात मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्ला० की तरफ़ सहीह है, और अहले सुन्नत का यह प्रमाणित नियम है कि जिस क़ौल (कथन), फ़ेल (क्रिया) या अम्र (आदेश) की निस्बत (सम्बन्ध) आँहज़रत सल्ला० की तरफ़ यक़ीनी तौर पर सहीह साबित होजाय तो हर मुसलमान पर उसकी सेहत (सत्यता) का एतिक़ाद रखना ज़रुरी है। चुनाँचे अल्लामा हाफ़िज़ इब्ने हजर अस्क़लानी ''शर्ह नुख़्बतुल फिक्र'' में लिखते हैं।

> *''यह विषय यानि ख़बरे मुतवातिर से इल्मे यक़ीनी का फ़ाइदा हासिल होना मज़्हबे मुख़्तार (प्रमाणित मत) है, क्योंकि ख़बरे मुतवातिर से ज़रुरी इल्म (आवश्यक ज्ञान) हासिल होता है, जिसके मान्ने पर आदमी मुज़्तर और मजबूर (विवश) है कि उसका रद्द (खंडन) करना मुम्किन नही''।*

चूंकि हदीसे मुतवातिर से जो मफ़्हूम साबित हो रहा है उसकी निस्बत आँहज़रत सल्ला० की तरफ़ क़तअन् सहीह (नितांत सच) होती है और उस से एसा इल्मे यक़ीनी और इज़्तिरारी हासिल होता है कि उसका इंकार मुम्किन ही नही है, इसी लिये उसूले हदीस का मुसल्लमा ज़ाबिता (प्रमाणित नियम) है कि हदीसे मुतवातिर का इंकार कुफ़्र है। चुनाँचे अल्लामा निज़ामुद्दीन शाशी ''उसूलुश-शाशी'' लिखते है।

> *''हदीसे मुतवातिर इल्मे क़तई हासिल होने का कारण है और उसका रद्द करना कुफ़्र है''।*

इसके बरख़िलाफ़ (विपरीत) मोतज़िला कहते हैं कि ख़बरे मुतवातिर से इल्मे इत्मीनानी (तसल्ली देने वाला ज्ञान) हासिल होता है। इसके जवाब में अहले सुन्नत की तरफ़ से किताब ''ज़फ़रुल अमानी फ़ी मुख़्तसरुल जुर्जानी'' में लिखा है।

''इस से ज़ाहिर है कि मुतवातिर से जो इल्म हासिल होता है वह मुआएना (अवलोकन) की तरह क़तई इल्म है, और मोतज़िला का यह विचार सहीह नहीं कि एहतिमाले किज़्ब (झूट का संदेह) के कारण ख़बरे मुतवातिर से इल्मे इत्मिनानी हासिल होता है''।

उसूले फ़िक़्ह की मश्हूर किताब ''उसूले बज़ूरी'' में मोतज़िल के इस विचार के विषय में लिखा है कि :-

''यह कहना कि मुतवातिर से इल्मे यक़ीनी नहीं बल्कि इल्मे इत्मिनानी हासिल होता है, बातिल क़ौल (असत्य कथन) है जो कुफ़्र तक पहुंचाता है''।

चुनाँचे इस्लामी अहकाम में इसकी बहुत सारी मिसालें मिलती हैं, मसलन् मेराज, मसह ख़ुफ़्फ़ैन, अज़ाबे क़ब्र, तर्तीबे सलात (नमाज़ अदा करने का क्रम) ग़रज़ कई मसाइल हैं जो क़ुरआन शरीफ़ में स्पष्ट रुप से लिखे हुवे नहीं हैं और किसी मुतवातिरुल - लफ़्ज़ हदीस से भी उनका सुबूत नहीं, लेकिन जिन मुतवातिर बिल-माना अहादीस से उनका सुबूत मिलाता है, उन सब के जुज़्वे मुश्तरक (सामासिक खंड) से यही मफ़्हूम निकलता है कि ऊपर ज़िकर किये गये विषय यानि मेराज, मसह ख़ुफ़्फ़ैन, अज़ाबे क़ब्र और तर्तीबे सलात क़तई और यक़ीनी हैं। इसी लिये अक़ाइद (मत) और इल्मे-कलाम (तर्क शास्त्र) की किताबों में इन मसाइल का इस हैसियत से ज़िक्र किया गया है कि उनके सहीह होने का एतिक़ाद रखना हर मुसलमान पर लाज़िम है और उनका इंकार कुफ़्र का कारण है।

पस इनही मसाइल की तरह महेदी अले० की बेसत भी अहादीसे मुतवातिरा से साबित होने के कारण उसपर एतिक़ाद रखना हर मुसलमान के लिये ज़रुरी है। यही कारण है कि क़रीबन् तमाम इस्लामी फ़िर्क़े (संप्रदाय) इल्ला मा शाअल्लाह बेसते महदी अले० की ज़रुरत के मोतक़िद हैं।

मंतक़ी तौर पर (तर्कशास्त्र अनुसार) इन अक़वाल से यह मुक़द्दिमात (विषय) साबित होते हैं कि:-

१) महेदी अले० का वुजूद (उपस्थिति) हदीसे मुतवातिर से साबित है।

२) जो बात अहादीसे मुतवातिरा से साबित हो वह क़तई और यक़ीनी है, उसका इंकार (अस्वीकार करना) या रद्द (खंडन) करना नामुम्किन (असंभव) और मूजिबे कुफ़्र है।

इन दोनों मुक़द्दिमात से यही नतीजा (परिणाम) बरअमाद हुवा (निकला) कि:

''महेदी अले० का आना अहादीस की रु से (कारण) क़तई (अटल) और यक़ीनी (निश्चित) है, जिसका रद्द करना नामुम्किन और कुफ़्र का कारण है''।

पस कोई मुसलमान उसमें तअम्मुल (संकोच) और इंकार नहीं कर सकता और ना यह कह सकता है कि महेदी अले० के ज़ुहूर का अक़ीदा ही सिरे से (बिल्कुल) क़ाबिले क़ुबूल (स्वीकरणीय) नहीं है, हालाँकि इस मौऊदे रसूलुल्लाह सल्ला० (जिसका वादा रसूल सल्ला० ने किया था) का ज़ुहूर ज़रूरी होने की यह ताकीदात (आग्रह) अहादीस में पाई जाती हैं कि:-

* जब तक महेदी अले० का ज़ुहूर न हो क़यामत नहीं आयेगी।

* जब तक वह मब्ऊस (प्रकट) न हो दुनया ख़त्म (समाप्ति) ना होगी।

* अगर दुन्या ख़त्म होने को एक दिन या एक रात ही बाक़ी रह जाये तो अल्लाह तआला उस एक दिन या एक रात ही को इत्ना दराज़ (लंबा) फ़र्मादेगा कि उसमें महेदी अले० का ज़ुहूर हो जाये।

उम्मत को यह ताकीद फ़र्माई गई है कि:-

''तुम्हारे और अल्लाह के उस ख़लीफ़ा के दर्मीयान (मध्य में) बर्फ़ भी बीच में आजाए तो तुम बर्फ़ पर से रेंगते हुवे जाओ और उस से बैअत करो''।

क्या किसी की अक़ल विश्वास कर सकती है कि मुख़्बिरे सादिक़ सल्ला०

ने जिस ज़ात के ज़ुहूर (प्रकटन) को इस क़दर ज़रूरी और अहम (महत्वपूर्ण) फ़र्माया है वह एक ग़ैर ज़रूरी मस्अला (अनावश्यक समस्या) बन जाये, जबकि यह अहादीसे मुतवातिरा से साबित है।

उसूले हदीस (सिद्धांत) का एक और नियम है कि अख़बारे मुतवातिरा के रावियौं (वर्णन कर्ता) के ज़ोफ़ (दुर्बलता) और क़ुव्वत (शक्ति) (यानि योग्यता) से बहस नहीं की जाती बल्कि फ़ासिक़ौं (पापीयौं) और काफ़िरौं की रिवायत भी अगर तवातुर की हद तक पहुंच जाये तो मूजिबे यक़ीन और मूजिबे अमल होती है। चुनाँचे हाफ़िज़ इब्ने हजर असक़लानी ''शर्ह नुख़्बतुल फ़िक्र'' में लिखते हैं।

> *''मुतवातिर के राविय़ौं से बहस नहीं की जाती बल्कि बग़ैर बहस के उस पर अमल करना वाजिब (अनिवार्य) है क्योंकि उसपर यक़ीन (विश्वास) करना आवश्यक है, अगर चे फ़ासिक़ौं बल्कि काफ़िरौं से रिवायत हुवी हो।''*

लेकिन बाज़ ऐसे असहाब ने जो ना मुहद्दिस (हदीस के विद्वान) हैं और ना उसूले हदीस से काफ़ी जानकारी रखते हैं, इस मुसल्लमा ज़ाबिता (सर्वमान्य नियम) के ख़िलाफ़ अहादीसे मुतवातिरा में भी ज़ोफ़ और क़ुव्वत की बहस करने की ग़लती की है, और अपने ज़ोमे बातिल (झूठे अभिमान) में बाज़ अहादीस के राविय़ौं की निस्बत जर्ह और ताअन (विवाद और छीटांकशी) करके और बाज़ तारीख़ी वाक़िआत (ऐतिहासिक घटनायें) से अहादीस के मज़्मून (विषय) को तत्बीक़ (समायोजन) देने की कोशिश करके नतीजा निकाला कि महेदी अले० से संबंधित अहादीस बनाई हुवी और मौज़ूअ (घड़ी हुवी) हैं, हालाँकि मोतरिज़ीन (आपत्तिकर्ता) ने जिन वुजूह और दलाइल के आधार पर अपनी यह ग़लत राय क़ाइम की है, उन्ही वुजूह और दलाइल पर सरसरी तौर पर भी ग़ौर करने से उनका यह बयान कई कारणौं से मख़दूश (शंका जनक) साबित होता है। मसलनः-

ज़हूरे महेदी अले० के विषय में जिस मात्रा में अहादीस आई हैं उन कसीर अहादीस में से चंद हदीसौं की निस्बत उन मोतरिज़ीन ने रद्दोक़दह (वाद-विवाद) की है और उनके राविय़ौं पर जरह व ताअन (विवादित) होना ज़हिर किया है। अगर उनके विचारनुसार फ़र्ज़न् और तक़्दीरन उन अहादीस को मज्रूह

(घायल) ही मान लिया जाये तो फिर भी कई हदीसें ऐसी रह जाती हैं जिनको ग़लत नहीं टहराया गया है। पस ज़ाहिर है कि जब तक तमाम अहादीस जो इस विषय में आई हैं वह मज्रूह ना साबित हों महेदी अले० के वुजूद का विषय बेअसल (निराधार) नहीं साबित हो सकता, क्योंकि एक हदीस भी सहीह साबित हो जाये तो असल वुजूद साबित होने के लिये काफ़ी है। चुनांचे अकसर फ़िक़्ही मसाइल सिर्फ़ एक-एक हदीस ही से साबित किये गये हैं। ख़िलाफ़त का अहम मसअला जब अन्सार और मुहाजिरीन में मतभेद का कारण बनगया तो हज़रत अबू बक्र सिद्दीक़ रज़ी० के सिर्फ़ एक हदीस पेश करने से समझौता होगया और अन्सार ख़ामोश होगये। इसी तरह और बहुत से अहकाम और क़ज़ाया (निर्णय) एक-एक दो-दो हदीस पर ही आधारित हैं।

जिन अहादीस पर रद्दो क़दह की गई है उनके बाज़ विशेष विषय पर बहस (तर्क वितर्क) की गई है, हालाँकि महेदी अले० के विषय में अकसर हदीसें ऐसी हैं जिनको अनेक मुहद्दिसीन ने अपनी सहीद और मसानीद (हदीस के संग्रह) वग़ैरा में रिवायत के मुख़्तलिफ़ सिलसिले से तख़रीज की (बयान किया) है। पस अगर फ़र्ज़ कर लिया जाये कि मोतरिज़ीन ने जिन ख़ास मुहद्दिसीन के सिलसिले (क्रम) को मख़दूश (शंकाजनक) साबित करने की कोशिश की है। अगर वह सहीह भी है तो उस से सिर्फ़ रिवायत का वही सिलसिला ज़ईफ़ साबित होगा, और रिवायत (वर्जन) के दूसरे सिलसिले जिन में वह मतऊन (निंदित) और मजरूह (आरोपित) व्यक्ति दाख़िल नहीं हैं, उसका कोई असर नहीं पड़ सकता। पस जब तक रिवायत और असनाद (वर्णन क्रम) के तमाम सिलसिले मजरूह और मख़दूश साबित ना किये जायें असल हदीस मजरूह नहीं हो सकती, और जब तक असल हदीस मख़दूश ना हो वह मफ़्हूम (भावार्थ) जो उस हदीस से मुस्तंबत (निष्कर्ष) हो रहा है कभी ग़लत नहीं होसकता।

अकसर ताअन और जरह ऐसी हैं जो सतही (ऊपरी) तौर पर ग़ौर करने से सहीह क़ायम नहीं रह सकती, और उस जरह (विवाद) का कोई असर नहीं पड़ सकता। चुनाँचे कई रावियों के विषय में जरह के साथ उनकी ताअदील भी मोतरिज़ ने दर्ज की है, जिस से नियम "मुस्बत (सकारात्मक) नाफ़ी (नकारात्मक) पर भारी होता है" अनुसार जरह का असर ख़ुद कम होजाता है।

बाज़ जरहें ऐसी की गई हैं जिनसे ख़ास अहादीसे महेदी अले० पर कुछ असर नहीं पड़ सकता। मसलन् कहा गया है कि फ़ुलाँ हदीस निश्कात और मश्हूर मुहद्दिस हाकिम की है 'मुस्तदरक' में एक सौ हदीसें मौज़ूअ (घड़ी हुवी) हैं। इस जरह से ख़ुद साबित हो रहा है कि हाकिम की 'मुस्तदरक' में जो कई हज़ार हदीसें हैं उनमें से एक सौ के सिवा बाक़ी सब सहीह हैं और यह साबित नहीं किया गया कि यह हदीस भी उनही सौ हदीसों में है। इस से उस ख़ास हदीस पर कोई असर नहीं पड़ सकता, और अगर उस से हाकिम की 'मुस्तदरक' में लिखी हुवी तमाम अहादीस को ज़ईफ़ साबित करना मक़्सूद (उद्देश्य) हो तो यह उसूले हदीस (नियम) के ख़िलाफ़ है। अगर ऐसा किया जाये तो फिर हदीस की कोइ किताब भी क़ाविले इस्नाद (प्रमाण पात्र) नहीं क़रार दी जा सकती, क्योंकि हदीस की प्रमाणित पुस्तकें (सिहाह) नसाई, अबू दाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा यहाँ तक कि बुख़ारी और मुक्लिम में जो सब से ज़ियादा सहीह मानी जाती हैं, बहुत सी ऐसी हदीसें मिलती हैं। पस नतीजा यह होगा कि उनमें बाज़ ज़ईफ़ होने के कारण उन की भी तमाम अहादीस क़ाबिले वुसूक़ (विश्वसनीय) नहीं रहेंगी और यह उसूले हदीस के ख़िलाफ़ है।

उसूले हदीस का एक नियम यह है कि ''जरह (किसी रावी को अविशवस्त टहराना) ताअदीस (विश्वस्त बताना) पर मुक़द्दम (प्राथमिक) है'' जबकि वही जरह ताअदील पर मुक़द्दम और मुरज्जह (प्राथमिकता) होती है जो मुबय्यन (स्पष्ट) हो मुब्हम (अस्पष्ट) ना हो। जरह करने वाला (परीक्षक) ख़ुद आदिल (न्यायवान) हो और जिन कारणों के आधार पर यह जरह की गई है उनका आरिफ़ (ज्ञाता) हो। इस लिये जब तक जरह करने वालौं की अदालत (न्यायवा नता) साबित ना की जाये उनकी जरह मुअस्सिर (प्रभावी) और मुरज्जह (प्राथमिक) ना होगी।

ग़रज़ महेदी अले० के ज़ुहूर की बशारत जिन बेशुमार अहादीस से दी गई है वह अहादीस भी दूसरी तमाम हदीसों की तरह हदीस की उन्ही किताबों में मौजूद हैं जो अहादीस की मंबा (स्त्रोत) समझी जाती हैं। मोतरिज़ीन ने महेदी अले० से संबंधित जिन चंद अहादीस के रावियौं पर जिस क़िसम की जरह और ताअन का ज़िक्र किया है, ख़ुद उन्ही से या उन्ही के जैसे रावियौं से जिन पर इसी

क़िसम के ताअन (कटाक्ष) हैं और बहुत सी हदीसें रिवायत की गई हैं और इसके अलावा उन अहादीस से उहकाम का इस्तिख़राज़ (निष्कासन) किया गया है। जब ऐसे ही रावियौं से रिवायत की हुवी हदीसें दूसरे अहकाम में मक़बूल (स्वीकृत) समझी गई हैं तो केवल इसी प्रकार के मताइन (छीटांकशी) से महेदी अले० से संबंधित हदीसें बनाई हुवी या मौज़ूअ (छड़ंत) नहीं क़रार दी जासकती। अगर ऐसा किया जाये तो फिर हनफ़िया और दूसरे अहले मज़ाहिब के बेशुमार मसाइल मनघड़त कहानी होजायेंगे, क्योंकि वह ऐसी ही अहादीस पर आधारित हैं जिन के रावियौं पर इसी क़िसम के ज़ोफ़ (कमज़ोरी) और वाही (निरर्थक) होने का ताअन (छींटाकशी) किया गया है। ग़रज़ इब्ने ख़लदून और उसके सहमतियौं ने महेदी अले० से संबंधित अनगिनत अहादीस में से केवल चंद अहादीस पर रद्दो क़दह (खडंन) करके उनको ग़लत क़िस्सा क़रार देने की जुर्अत की और नतीजा निकाला कि अहादीसे महेदी अले० बनाइ हुवी और मौज़ूअ (मन घड़त) हैं और सिरे से महेदी के वुजूद का इंकार कर दिया।

इब्ने ख़लदून का जवाब महेदवियौं में से अल्लामा सय्यद अशरफ़ शमसी रहे० ने दिया है जो उर्दू भाषा में ''इस्लाहुज़् - ज़ुनून फ़ी जवाब इब्ने ख़लदून'' के नाम से प्रकाशित हो चुका है।

उलमाए अहले सुन्नत में से भारत के मश्हूर और प्रमाणित आलिम और पीरे तरीक़त जनाब अशरफ़ अली साहव थानवी ने इब्ने ख़लदून का जवाब उर्दू में लिखा जो उनके छपे हुवे किताबौं में मौजूद है। इसके अलावा मुल्के शाम के एक फ़ाज़िल शेख़ मुहम्मद बिन अहमद सिद्दीक़ ने इब्ने ख़लदून के एतेराज़ात का जवाब अरबी भाषा में लिखा है जो ''अब्राज़ुल वहम अलमक्नून मिन कलामि इब्ने ख़लदून'' के नाम से दमिश्क़ से प्रकाशित हो चुका है।

मौलवी मनाज़िर अहसन गीलानी, अध्यक्ष धर्मशस्त्र विभाग उस्मानिया विश्वविद्यालय ने भी इब्ने ख़लदून के बयान को ग़लत क़रार दिया और मुसलमानौं को धोखा देने की कोशिश कहा है। चुनाँचे मकातिब इमाम ग़ज़ाली रहे० के मुक़द्दिमा में लिखते हैं।

> *“इस प्रकार का मुग़ालत (भ्रम) जिससे इब्ने ख़लदून ने मुसलमानौं में महेदियत के नज़रिये (सिद्धांत) को मुज़महिल (कलांत) करने में काम लिया था इब्ने ख़लदून ने अपनी तारीख़ के मुक़द्दिमे में इसका ज़िक्र करके कि आइंदा महेदी अले० की शकल में मुसलमानौं को एक निजात दहिंदा (मुक्ति दिलाने वाला) मिलेगा, इस ख़याल को उसने ग़ैर अक़ली (विवेकहीन) क़रार दिया है”।*

इसके बाद इब्ने ख़लदून के विचार का उचित रुप से खंडन करने के बाद लिखा।

> *“महेदी के विषय में हदीस की किताबौं में जो रिवायतें हैं उनपर इब्ने ख़लदून ने जो एतेराज़ात किये हैं उनकी भी मुहद्दिसाना हैसियत से कोई महत्व नहीं है और महेदी का अक़ीदा अहले सुन्नत वल - जमाअत का एक मुसल्लमा (प्रमाणित) अक़ीदा हैं।”*

इतिहासकार इब्ने ख़लदून ने दावा तो यह किया है कि महेदी अले० की बेसत के बारे में जो अहादीस आई हैं वह मौज़ूअ (घड़ी हुवी) हैं, और इस दावे पर बतौर दलील उन अहादीस को बेअसल (निराधार) साबित करने के लिये चंद हदीसौं को चुनकर एक-एक दो-दो रावियौं पर जरह की है, लेकिन पहली ही नज़र में हर देखने वाले पर वाज़ेह होसकता है कि अधिकतर रावियौं पर ज़ोफ़ वग़ैरा की जरह ज़ाहिर की गई है, हालाँकि हदीस के नियमानुसार किसी हदीस का रावी मजरुह (आरोपित) होने से वह हदीस ज़ईफ़ (कमज़ोर) कहलाती है मौज़ूअ और बनाइ हुवी नहीं होजाती। इस लिये रावियौं के ज़ईफ़ होने से हदीस मौज़ूअ और बनाइ हुवी होने का नतीजा निकालना बिलकुल ग़लत है, क्योंकि ज़ईफ़ हदीस और मौज़ूअ हदीस में तरत्तुबे अहकाम (आदेशौं का क्रम और लागु करना) के एतिबार से बहुत फ़र्क़ है। हर रावी से मुतअल्लिफ़ जो जरह की गई है वह भी किस हद तक सहीह है यह एक तवील बहस है। अगर हर हदीस की असनाद (वर्णन करने वालौं को ज़ंजीर), रिवायत और रावियौं की जरह और ताअदील, अहादीस के ज़ोफ़ और क़ुव्वत, तआरुज़ (असमानता) और तताबुक (अनुकूलन) की तफ़्सीली बहस, फ़न्ने रिजाल और उसूले हदीस के मुताबिक़ की जये तो मज़्मून तवील होने के अलावा एक इल्मी बहस होने के करण आम तौर पर दिलचस्प नहीं होसकता।

ग़रज़ इन मबाहिसे मज़्कूरा से किसी क़दर वाज़ेह होगया कि महेदी अले० की बेसत मुतवातिरुल-माना अहादीस से साबित है और दूसरी अहादीस को वह महत्व और विशेषता हासिल नहीं है जो महेदी अले० से संबंधित अहादीस को हासिल है। इसी कारण अइम्मए दीन की मुरत्तबा (संकलित) उसूल (सिद्धांत) और अक़ाइद की किताबों में बेसते महेदी अले० का ज़िक्र अवश्य पाया जाता है। इस लिये महेदियत के विषय को मान्ना और आस्था रखना हर मुसलमान के लिये ज़रुरी (अनिवार्य) है। इस के अलावा रसूलुल्लाह सल्ला० ने बहुत सारी पेशीन गोइयाँ (भविष्य वाणी) फ़र्माइ हैं जिनका वुक़ूअ (घटित होना) ज़रुरी है। उनही में से महेदी अले० के आने की हदीसें भी आँहज़रत सल्ला० की गोया पेशीन गोई है जिसका पूरा होना ज़रुरी है, वरना अख़बारे माअसूम (निर्दोष पैग़म्बर की सूचना) का रद्द करना लाज़िम आयेगा और अख़बारे माअसूम में नस्ख़ (रद करना) नाजाइज़ (अनुचित) है। इस हैसियत से भी उसका वुक़ूअ (घटित होना) ज़रूरियाते दीन (धार्मिक आवश्यक्तायें) से है और उस पर ईमान लाना ज़रुरी है।

मुसलमानों का एक बहुत बड़ा गिरोह इमाम महेदी अले० की आमद (आगमन) का मुंतज़िर (प्रतीक्षित) है, लेकिन उन लोगों ने महेदी अले० की बेसत (आने) को चंद अलामतों (लक्षण) और शरतों से मश्रुत (सोपाधिक) किया है, जो एक दूसरे की ज़िद होने के कारण उनमें यह योग्यता नहीं है कि वह एक व्यक्ति में जमा होसकें, वर्ना ज़िद्दैन (दो परस्पर विरोधि चीज़ौ) का जमा (एकत्रित) होना लाज़िम आयेगा जो जाइज़ नहीं है। जिन लोगों ने महेदी अले० की बेसत को जिन शरतों पर मश्रुत किया है उन्होंने इस बात पर ग़ौर नहीं किया कि जो अख़बार और अहादीस आइंदा एक व्यक्ति की बेसत को साबित करती हैं वह अपने हक़ीक़ी (वास्तविक) और लग़वी (शाब्दिक) मआनी (अर्थ) में कही गई हैं या उनके मआनी मजाज़ी (लाक्षणिक अर्थ) हैं। जब उस पर ग़ौर नहीं किया तो फिर मुग़ालता (भ्रम) में रहे।

मसलन् बाज़ हदीसें यह बताती हैं कि महेदी अले० का जन्म मक्का में होगा और दूसरी हदीसें साबित करती हैं कि इमाम अले० मदीना में पैदा होंगे। यह दोनों एक-दूसरे के विरुध हैं। बाज़ रिवायतौं से मालूम होता है कि महेदी

अले० और ईसा अले० मिल कर (सम कालीन) आयेंगे, और बाज़ हदीसों से साबित है कि महेदी अले० की तश्रीफ़ आवरी (आगमन) के बहुत बाद ईसा अले० नाज़िल होंगे। यह दोनों वर्णन एक दूसरे से प्रतिकूल हैं। बाज़ अहादीस से मालूम होता है कि महेदी अले० के ज़माने में सब लोग मोमिन और मुसलमान होजायेंगे, जब कि क़ुरआने मजीद की आयात से साबित है कि अगर अल्लाह चाहता तो सब लोग ईमान लाते, जैसा कि अल्लाह तआला फ़र्माता है। *''अगर तुम्हारा रब चाहता तो अवश्य सब के सब लोग जो ज़मीन में आबाद हैं ईमान ले आते।''* (१०:९९) इस आयत से साबित है कि अल्लाह की यह मर्ज़ी नहीं है कि सब लोग मुसलमान होजायें। पस ज़ाहिर है कि यह दोनों अर्थ एक दूसरे के विरुध हैं। ग़रज़ महेदी अले० के आने का इन्तेज़ार करने वाले उस गिरोह ने जिन अहादीस को महेदी अले० के आने के शराइत टहराया है वह आपस में अज़दाद (विरुध) हैं इसलिये उनके मआनी पर ग़ौर करना अशद ज़रुरी है।

अहादीसे शरीफ़ा की रौश्नी में हम यह एतिक़ाद रखते हैं कि महेदीए मौऊद अले० जिनके आने की बशारत रसूलुल्लाह सल्ला० ने दी थी वह मबऊस हुवे (आचुके) और वफ़ात पाई, और अल्लाह तआला के हुक्म से यह दावा फ़र्माया कि मैं महेदीए मौऊद हूँ, मगर महेदियत का विषय बाज़ लोगौं के ज़ोमे फ़ासिद (झूटे आभिमान) में इख़्तिलाफ़ी (प्रतिकूल) है।

एक पक्ष का बयान है कि महेदी अले० कोइ दूसरा व्यक्ति नहीं बल्कि वह हज़रत ईसा अले० ही हैं और चूंकि वह हिदायत याफ़ता हैं इस लिये उनकी शान में शब्द महेदी आया है, चुनांचे उस पक्ष ने हदीस *''लामहेदी इल्ला ईसा''* से इस्तिदलाल (तर्क) किया है।

दूसरे पक्ष का कहना है कि क़ुरआन शरीफ़ हमारी हिदायत के लिये काफ़ी है और दीन कामिल होचुका है। ऐसी सूरत में हमारी हिदायत के लिये किसी इमामे माअसूम की ज़रुरत नहीं है।

तीसरा पक्ष स्वीकार करता है कि महेदी अले० की बेसत ज़रुरी है और क़यामत तक महेदी अले० के आने का मुन्तज़िर है। इस पक्ष का बयान है कि जो हदीसें महेदी अले० की बेसत को साबित करती हैं उन से ईसा अले० का आना मुराद (इष्टार्थ) है। चुनांचे उन्होंने उस हदीस से इस्तिदलाल किया है जो सुनन्

इब्ने माजा में रिवायत की गइ है। ''अनस बिन मालिक रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि महेदी नहीं है मगर ईसा बिन मर्यम।'' इस हदीस के कारण उनका बयान है कि हज़रत ईसा अले० की ज़रुरत मालूम होती है और हज़रत ईसा अले० को रसूलुल्लाह सल्ला० ने महेदी फ़र्माया है।

इसका जवाब यह है कि हदीस *''ला महेदी इल्ला ईसा इब्ने मर्यम''* क़ाबिले हुज्जक (तर्क-वितर्क योग्य) नहीं है। क्योंकि उसके असनाद में ज़ोफ़ (वर्णन कर्ता कमज़ोर) है। चुनांचे मुहद्दिस हाकिम का बयान है कि मुहम्मद बिन ख़ालिद जो इस रिवायत के असनाद में है वह मज्हूल (अज्ञात) है और मुज़तरिब (व्याकुल) भी, क्योंकि कभी उस अस्नाद का सम्बंध हज़रत इमाम शाफ़ई रहे० से जोड़त है और कभी अबान बिन सालेह से जोड़ता है कि अबान बिन सालेह ने हसन बसरी से रिवायत की है। लेकिन मुहद्दिस इब्ने सलाह कहते हैं कि अबान बिन सालेह को हसन बसरी से समाअत (सुनना) नहीं है। अल्लामा ज़हबी ने ''मीज़ान'' में लिखा है कि यह हदीस मुन्कर है। इमाम बैहक़ी कहते हैं कि मुहम्मद बिन ख़ालिद मज्हूल (अज्ञात) है। हासिले-कलाम (निचोड़) यह है कि इस रिवायत का अस्नाद (वर्णन कर्ताओं का सिल सिला) ज़ईफ़ (दुर्बल) है, इस लिये तमस्सुक के लाएक़ (विश्वसनीय) नहीं है।

दूसरा जवाब यह है कि रसूलुल्लाह सल्ला० से मुतवातिर हदीसें बयान की गई हैं कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० के अहले बैत से हैं। जब यह बात मुतवातिरन् (निरंतर) साबित है कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० के अहले बैत (कुल) से हैं और हज़रत ईसा अले० का इब्ने मर्यम होना क़ुरआन से साबित है तो इस कारण हदीस *''ला महेदी इल्ला ईसा इब्ने मर्यम''* ज़ईफ़ और ना क़ाबिल एहतिजाज (प्रमाण के योग्य) है।

तीसरा जवाब यह ह कि हदीसे सहीह से जिसको बयान करने वालौं को मुहद्दिसीन सिलसिलतुज़-ज़हब (स्वर्ण क्रम) कहते हैं यह साबित है कि महेदी अले० उम्मत के वस्त (मध्य काल) में हैं और ईसा अले० उम्मत के आख़िर (अंतिम काल) में हैं, तो इस से साबित है कि हदीस *''ला महेदी इल्ला ईसा इब्न मर्यम''* सहीह नहीं है।

सहीह यही है कि महेदी अले० फ़ातिमा रज़ी० की संतान से उम्मत के मध्यकाल में आयेंगे और हज़रत ईसा अले० जो मर्यम के पुत्र हैं आख़िर ज़माने में आसमान से नीचे उतरेंगे। इस ज़ईफ़ बल्कि मौज़ूअ (मन घड़त) हदीस से इस्तिदलाल करके बाज़ लोगौं ने जो ना फ़ातिमा रज़ी० की संतान से है और ना ईसा इब्ने मर्यम हैं, महेदियत और मसीहीयत का दावा किया है।

जिन लोगौं का बयान है कि क़ुरआन शरीफ़ हिदायत के लिये काफ़ी है इस लिये रसूलुल्लाह सल्ला० के वुजूद के बाद किसी इमामे मासूम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अल्लाह तआला ने दीन की तकमील (संपूर्ण) करदी और जब रसूलुल्लाह सल्ला० के दीन में तरक़्क़ी (उन्नति) और ज़ियादती (अधिकता) नहीं हो सकती तो फिर इमाम महेदी की क्या ज़रूरत है। इसका जवाब यह है कि अगर क़ुरआने मजीद ख़ुद उम्मते मुहम्मदिया की हिदायत के लिये काफ़ी है तो यह ख़याल बिल्कुल ग़लत है, क्योंकि क़ुरआन मजीद के अकसर अहकाम मुज्मल (संक्षिप्त) और मुब्हम (अस्पष्ट) हैं। आम उम्मते मुहम्मदिया उसके मफ़हूमात के मुवाफ़क़ (अर्थानुसार) अमल नहीं कर सकती। इस सूरत में क़ुरआन शरीफ़ हिदायत के लिये काफ़ी नहीं है। मसलन् क़ुरआन मजीद में यह आदेश दिया गया है कि नमाज़ पढ़ो ज़कात दो, रमज़ान के रोज़े रखो और हज करो, मगर उनकी तफ़्सीली हालत बयान नहीं की गई। इस लिये इन फ़राइज़ पर अमल करने के लिये क़ुरआन मजीद की तालीम और इर्शाद काफ़ी नहीं है। जब कोई नमाज़ पढ़ने का इरादा करे तो मुम्किन नहीं है कि उस से यह फ़र्ज़ अदा होसके, क्योंकि उसको यह मालूम नहीं कि हर नमाज़ का समय कब से कब तक है। अगर क़ुरआन शरीफ़ में औक़ात (समय) का ज़िक्र है भी तो इतना स्पष्ट नहीं है कि एक जाहिल (अज्ञानी) या मुतवस्सित (मध्यम) मालूमात का आदमी नमाज़ के समय के मफ़्हूम को देखकर नमाज़ पढ़सके। क़ुरआन मजीद से यह भी नहीं मालूम होता कि हर नमाज़ की कितनी रकातें हैं, फ़राइज़े दाख़िली क्या हैं और फ़राइज़े ख़ारिजी कौनसे हैं, और फिर क़ुरआन मजीद से नमाज़ अदा करने का तरीक़ा विस्तार पूर्वक मालूम नहीं होसकता।

रोज़े (उपवास) की भी यही हालत है कि समय अस्पष्ट है, अगरचे क़ुरआन मजीद में इब्तिदाई (प्रारंभिक) और इंतिहाई (अंतिम) समय का बयान

मौजूद है, लेकिन रात की इब्तिदा और इंतिहा की जो बहस की जाती है वह दिशा के नियम पर आधारित है जिस से उम्मते मुहम्मदिया के साधारण लोग नावाक़िफ़ (अपरिचित) हैं, इस लिये रोज़ा रखना और रोज़ा खोलना कठिन होगा।

ज़कात की भी यही हालत है कि उसकी तफ़्सील और हर एक जिंस (वस्तु) की ज़कात की मात्रा का हाल क़ुरआने करीम में ज़िक्र नहीं किया गया है, इस लिये ज़कात से संबंधित आयात की रौशनी में आदमी ज़कात के लिये तय्यार नहीं हो सकता।

हज का फ़र्ज़ अदा करने में भी मतभेद हैं जिनका बयान फ़िक़्ह (इस्लामी धर्मसास्त्र) की किताबों में मौजूद है। ज़ाहिर है कि हज की आयतें उसके मनासिक और अर्कान की तफ़्सील के लिये नाकाफ़ी हैं।

ग़रज़ अवाम तो अवाम हैं उल्मा, फ़ुज़ला (विद्वान, बुद्धिमान) और अइम्मए मुज्तहिदीन भी रसूलुल्लाह सल्ला० के बयान के बग़ैर ना नमाज़ पढ़ सकते हैं, ना रोज़ा रख सकते हैं, ना ज़कात दे सकते हैं और ना हज कर सकते हैं। इसी लिये रसूलुल्लाह सल्ला० की हदीस की रौशनी में अइम्मए मुज्तहिदीन और फ़ुक़हाए उम्मत (धर्मशास्त्र में प्रयास और अनुसंधान करने वाले महानविद्वान) ने फ़तावा (धर्मादेश) की किताबों की तदवीन (संकलन) की। जिस तरह फ़िक़्ही मसाईल की ताअमील (आज्ञा पालान) के लिये क़ुरआन की हिदायत (निर्देश) काफ़ी नहीं है, उसी तरह एतिक़ादी मसाइल (आस्था के विषय) के लिये भी क़ुरआन शरीफ़ अवाम के लिये काफ़ी नहीं है, बल्कि अक़ाइद के बाज़ ऐसे मसाइल हैं कि उलमाए रासिख़ीन (दृढ़ विद्वान) भी उनको समझाने से क़ासिर (असमर्थ) हैं और यह नियम निश्चित करदिया कि उस पर ईमान लाना ज़रूरी है, और उनकी कैफ़ियात (दशा) की तहक़ीक़ में पड़ने की ज़रुरत नहीं। चुनाँचे मीज़ान (तुला-अच्छे-बुरे कर्मा का तोल), आमाल नामा (कर्म पत्र) और उबूरे सिरात (मार्ग पार करना) वग़ैरा की यही हालत है। सिफ़ात के मसाइल जो मुतशाबेहात हैं, उनमें तो बहुत कठिनाइयों का सामना होता है। बाज़ विषय ऐसे हैं कि अइम्मए मुज्तहिदीन से भी उनका तस्फ़िया (निपटारा) संभव नहीं बल्कि सहाबा भी मुतहय्यिर (स्तब्ध) हैं। हज़रत उमर फ़ारुक़ रज़ी० ने रिबा (सूद) के विषय की पेचीदगियों (जटिलता) को देखकर फ़र्माया कि रसूलुल्लाह सल्ला० की

वफ़ात होगई और ब्याज के विषय में शाफ़ी (संतोष जनक) बयान नहीं किया गया। ग़रज़ जिन लोगौं ने मुत्लक़न (निर्तात) यह बात की कि क़ुरआन हिदायत के लिये काफ़ी है और आम लोग क़ुरआन को देखकर उस पर अमल कर सकते हैं, उनका यह विचार ग़लत है।

अगर कमाले दीन (परिपूर्णता) से यह ग़रज़ (मतलब) है कि अल्लाह तआला ने जो शरीअत रसूलुल्लाह सल्ला० पर उतारी है इर्शादात (निर्देश) और हक़ाइक़ (वास्तविकता) के एतिबार से कामिल (संपूर्ण) है तो यह बात क़ाबिले तस्लीम (स्वीकारनीय) है, क्योंकि जब रसूलुल्लाह सल्ला० ख़ातिमुल अंबिया हैं और आप का दीन नासिख़े अदयान (दूसरे धर्मों को रद करने वाला) है तो ज़रुर है कि (निश्चित रूप से) रसूलुल्लाह सल्ला० की शरीअत मज़्कूरा एतिबारात (उक्त कथित कारणौं) से कामिल और मुकम्मल (संपूर्ण) हो, नहीं तो उसका असर (प्रभाव) ख़त्मीयत (अंतिम रसूल होने) पर पड़ेगा, क्योंकि नुक़साने इर्शाद (धार्मिक निर्देश में दोष) की हालत में नबूवत का इख़्तिताम (समापन) बेमाना (व्यर्थ) है। लेकिन यह बात भी स्पष्ट करने योग्य है कि कमाले दीन तंज़ील (उतरने) के एतिबार से मुकम्मल (संपूर्ण) है, अमल (कार्य) के एतिबार से मुसल्लम (सर्वमान्य) नहीं है, अर्थात दीन की तकमील तंज़ील के एतिबार से है तबलीग़ (प्रचार) के एतिबार से नहीं। रसूलुल्लाह सल्ला० ने केवल शरीअत के अहकाम की तब्लीग़ फ़र्माई लेकिन विलायत के अहेकाम की तब्लीग़ जो हक़ीक़त (ईश्वरीय रहस्य) से संबंधित थे इमामे मासूम हज़रत महेदी अले० पर मौक़ूफ़ (निर्भर) रखी। इसका मतलब यह है कि क़ुरआन शरीफ़ के मआनी (अर्थसमूह) को जिनका संबंध विलायते मुहम्मदी के अहकाम से है, ख़ुदा तआला के मंशा (उदेश्य) और मुराद के मुवाफ़िक़ बयान करना ख़ास महेदी अलो० का काम है। सिर्फ़ महेदवियाह का यह मज़्हब (मत) नहीं है बल्कि मुहक़्क़िक़ीने (औलिया) अहले सुन्नत का भी यही मज़्हब है। चुनाँचे शेख़ अकबर मुहीयुद्दीन इब्ने अरबी, सदरुद्दीन क़ौनवी और अब्दुर-रज़्ज़ाक़ काशानी जैसे औलियाए किराम ने आयत *''सुम्म इन्ना अलैना बयानहु''* की तफ़सीर करते हुवे यही लिखा है कि क़ुरआन का यह बयान जो विलायते मुहम्मदिया के अहकाम से संबंधित है महेदी अले० की ज़बान से होगा।

बात सिर्फ़ यह है कि रसूलुल्लाह सल्ला० के पवित्र सीने में दो इल्म (ज्ञान) थे। एक ज़ाहिरे क़ुरआन का इल्म (स्पष्ट अर्थ का ज्ञान) जिसको शरीअत कहते हैं, दूसरा बातिने क़ुरआन का इल्म (आंतरिक अर्थ का ज्ञान) जिस को हक़ीक़त कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्ला० ने शरीअत का आम (सामान्य) बयान फ़र्माया और तमाम दुनया उस से फ़ैज़ याब हुवी (लाभ उठाई), आज तक हो रही है और क़ियामत तक होती रहेगी। मगर हक़ीक़त का इल्म जो रसूल सल्ला० के पवित्र सीने में मौज ज़न् (सुरक्षित उभर रहा) था और जो जिब्राईल अले० के वास्ते (माध्यम) के बिना *''औ अदना''* के अवसर पर यानि मेराज की रात में जब रसूलुल्लाह सल्ला० अपने रब से मिले तो इतने क़रीब होगये कि दो कमानौं का अंतर या उस से भी कम होगया, तब ऐसे समय में जिसका ज़िक्र आपने किया कि ''मेरे लिये अल्लाह के साथ एक ऐसा भी समय था जब कोई मुक़र्रब (निकटस्थ) फ़रिश्ता और नबी भी उस समय में नज़्दीक नहीं आ सकता था'' यह इल्मे हक़ीक़त सर्वरे काइनात सल्ला० के हवाले हुवा था और जिसकी तरफ़ आयत *''फिर उसी (अल्लाह) ने अपने बंदे (महेबूब) की तरफ़ वही फ़र्माइ जो (भी) वही फ़र्माइ''* (अन्-नज्म ५३:१०) से इशारा किया गया है, रसूलुल्लाह सल्ला० ने उसका आम बयान नहीं फ़र्माया और उस इल्म की आम दाअवत और तब्लीग़ नहीं फ़र्माइ। चुनाँचे बुख़ारी शरीफ़ में हज़रत अबू हुरेरा रज़ी० से रिवायत है कि वह फ़र्माते हैं।

> *''मैं ने रसूलुल्लाह सल्ला० से दो (प्रकार के) इल्म हासिल किये, एक तो मैं ने तुम्हारे सामने बयान कर दिया, और अगर दूसरा इल्म भी बयान करूं तो तुम लोग मेरी गर्दन काट दोगे''।*

अल्लामा शहाबुद्दीन क़स्तलानी इस हदीस की शर्ह (व्याख्या) में लिखते हैं कि ''इस इल्म से मुराद (इष्टार्थ) असरार (रहस्य) का इल्म है जो अग़्यार (अन्य लोगौं) से छिपाया जाता है और केवल उन उलमा बिल्लाह से मख़्सूस (विशेष) है जो अहले इरफ़ान (ब्राहमज्ञान रखने वाले) हैं''। इस से साबित है कि सलाहीयत और अहलीयत (योग्यता) रखने वाले विशेष अस्हाब के सिवाय आम तौर पर (सामान्या रूप से) रसूलुल्लाह सल्ला० ने इन अहकाम को बयान नहीं फ़र्माया।

मुहक़्क़िक़ीने अहले सुन्नत का भी यही विचार है कि रसूलुल्लाह सल्ला०

ने सिर्फ़ अहकामे नबूवत का बयान फ़र्माया और अहकामे विलायत यानि हक़ीक़त की आम दाअवत नहीं फ़र्माइ, क्योंकि नबूवत का ज़माना अहकामे विलायत के बयान करने का मानेअ (निवारक) था। चुनाँचे मौलाना अब्दुर रहमान जामी रहे० ''शर्ह फ़ुसूसुल-हिकम'' में फ़र्माते हैं।

''रसूलुल्लाह सल्ला० ख़ातिमे विलायत की तरह हक़ाइक़ और असरार के इज़्हार पर मामूर (आदिष्ट) नहीं थे बल्कि आप को मुक़ामे तश्रीअ में विलायत के असरार को छिपाने का हुक्म दिया गया था''।

महेदी अले० ने भी यही फ़र्माया कि रसूलुल्लाह सल्ला० की ज़ात सर से पैर तक विलायत थी मगर रसूलुल्लाह सल्ला० विलायत के अहकाम बयान करने पर मामूर नही थे (यह) बंदा मामूर है।

ग़रज़ रसूलुल्लाह सल्ला० ने मख़्सूस असहाब (विशेष सहाबा) को उन असरार और हक़ाइक़ की तालीम दी जिनमें अहलियत और सलाहीयत (योग्यता) थी। इस ख़ुसूसी तालीम का स्पष्ट सुबूत यह है कि औलियाए किराम के मश्हूर ख़ानवादे (प्रसिद्ध घराने) मसलन क़ादरीया, चिश्तिया, सुहरवरदीया वग़ैरा वग़ैरा सब किसी न किसी सहाबीए मुकर्रम के वास्ते (माध्यम) से रिसालत मआब की ज़ाते अक़दस तक पहुंचते हैं, लेकिन इसमें कोइ शक नहीं कि हज़रत सल्ला० ने आम तौर पर (सर्व व्यापक) इन असरार और हक़ाइक़ को बयान नहीं फ़र्माया, बल्कि विलायत के अहकाम की आम दाअवत और तब्लीग़ को हज़रत महेदी अले० की ज़ाते अक़दस (पवित्र व्यक्तित्व) पर मौक़ूफ़ फ़र्माया, और महेदी अले० ने भी फ़र्माया किः

''मुझे अल्लाह तआला ने ख़ास इसी लिये भेजा है कि वह अहकाम और बयान जो विलायते मुहम्मदीय से संबंधित हैं महेदी के ज़रीए ज़ाहिर हो''।

ग़रज़ आयते करीमा *''अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम''* (अल-माइदा-३) के लिहाज़ से इस्लाम धर्म बिल्कुल कामिल और मुकम्मल है, मगर क़ुरआने मजीद में इल्मे शरीअत और इल्मे हक़ीक़त दोनों शामिल हैं। रसूलुल्लाह सल्ला० ने अहकामे शरीअत की तब्लीग़ की और अहकामे हक़ीक़त के बयान को दावत की

तरह (अल्लाह के आदेशानुसार लोगौं को अल्लाह की तरफ़ बुलाना) महेदी अले० पर मौक़ूफ़ रखा। इसी कारण महेदी अले० की बेसत (आगमन) ज़रुरियाते दीन से ठहरी, और ऐसी ज़रुरी क़रार दी कि उसके बग़ैर क़ियामत नहीं आयेगी, और महेदी अले० से बैअत करने को इस क़दर ज़रुरी क़रार दिया कि बर्फ़ पर से रेंगना पड़े तो तब भी जाओ और उनसे बैअत करो, क्योंकि वह अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं, और महेदी अले० को ख़ातिमे दीन फ़र्माया। चुनाँचे नईम बिन हम्माद और अबू नुअएम से रिवायत है कि हज़रत अली रज़ी० ने अर्ज़ किया (पूछा) ''या रसूलुल्लाह सल्ला० क्या महेदी हम आले मुहम्मद ही से होंगे या हमारे ग़ैर से''? तो आप सल्ला० ने फ़र्माया ''बल्कि आले मुहम्मद से होंगे, ख़ुदा तआला उन पर दीन को ख़त्म (सम्पूर्ण) करेगा जिस तरह हम से शुरु किया है''। इस हदीस से साबित है कि महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० के दीन के ख़ातिम (सम्पूर्ण करता) हैं, यानि जब तक अहकामे विलायत की आम दावत और तब्लीग़ ना हो दीन ख़त्म ना होगा। यही कारण है कि महेदी अले० को वफ़ात के समय ख़ुदाए तआला का हुक्म हुवा कि आप इस आयत *''अक्मलतु लकुम दीनकुम''* (आज मैं ने तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया) का बयान करें, जिसका मतलब यह है कि जो दीन तंज़ील (उतरने) के लिहाज़ (दृष्टिकोण) से मुकम्मल था और जिसकी शरीअत के अहकाम बयान होचुके थे आज अहकामे विलायत बयान होकर तब्लीग़ के लिहाज़ से भी मुकम्मल होगया।

पस जिन लोगौं का विचार है कि दीन कामिल होचुका इस लिये अब किसी इमामे मासूम की या महेदी मौऊद अले० की बेसत (आने) की ज़रुरत नहीं है, यह विचार सहीह नहीं। जब तक महेदी अले० की बेसत न हो, दीन मुकम्मल नहीं हो सकता। रसूलुल्लाह सल्ला० ने इसी की तरफ़ इशारा फ़र्माया है कि ''ख़ुदा तआला महेदी पर दीन को ख़त्म (संपूर्ण) करेग''। ग़रज़ महेदी अले० विलायत के अहकाम को बयान करके दीन को ख़त्म करेंगे।

इन दो गिरोह के अलावा जिनका विस्तार पूर्वक ज़िक्र ऊपर किया गया है कि उनमें से एक गिरोह हज़रत ईसा अले० ही को महेदी समझता है और दूसरा गिरोह क़ुरआन मजीद के बाद महेदी की ज़रुरत नहीं समझता, एक तीसरा गिरोह भी है जो इमाम महेदी अले० के मब्ऊस होने (आने) का मुंतज़िर

(आपेक्षी) है, मगर जिस इमामे बरहक़ (सत्य) का हमने इक़्राट (स्वीकृति) किया है उसका इंकार करता है। इनही लोगौं की तादाद बहुत ज़ियादा है। इस गिरोह की तरफ़ से महेदी अले० की बेसत का इंतेज़ार करना बाज़ ग़ैर सहीह (असत्य), ज़न्नी (काल्पनिक) और ज़ईफ़ अहादीस पर विश्वास करलेने और बाज़ अहादीस की ग़लत ताबीर (अनुचित व्याख्या) करके ग़लत फ़हमी में मुब्तला हो जाने का नतीजा है। मसलन् महेदी अले० तमाम दुनया के बादशाह होंगे, क़ुस्तुंतुन्या को फ़तह करेंगे, ईसा अले० के साथ मिलकर दज्जाल को ख़त्ल करेंगे, तमाम दुनया को इस्लाम धर्म और ईमान के नूर से मुनव्वर (उज्जवल) करदेंगे वग़ैरा, जिन की कोई अस्लियत (मूलतत्व) नहीं है।

रसूलुल्लाह सल्ला० ने महेदी अले० की बेसत की तीन तरीक़े से ख़बर दी है।

१) अव्वल यक कि महेदी अले० की बेसत ज़रुरियाते दीन (धार्मिक अनिवार्यता) से है।

२) दूसरा यह कि महेदी अले० दाफ़ेअ हलाकते उम्मत (शुद्ध इस्लाम धर्म का प्रचार करके लोगौं को तौहीद यानि अद्वैतवाद और केवल अल्लाह की इबादत की दावत देकर उम्मत को तबाही से बचाना) हैं।

३) तीसरा यह कि महेदी अले० अल्लाह के ख़लीफ़ा है और आप से बैअत ज़रुरी है।

बेसते महेदी अले० ज़रुरियाते दीन से होने का बयान यह है कि दीनी उमूर (विषय) की ज़रुरत नफ़्सानी ख़यालात पर आधारित नहीं होती, बल्कि अख़बारे मुग़य्यबा के सियाक़ात (संदर्भ) और दलालात (मुख्यार्थ) और उसके सीग़ौं (आकार) पर आधारित हुवा करता है। इस लिये अगर अख़बारे मुग़य्यबा (ग़ैब की सुचनाऐं) में चाहे वह किसी विषय या आज्ञा से संबंधित हों, कोई ताकीदी हुक्म (आग्रह पूर्वक आदेश) या ख़बर मौजूद हो और वह ख़बर या हुक्म अम्रे दीन (धार्मिक विषय) हो या उस से संबंधित हो तो वह ज़रुरियाते दीन से शुमार किया जायेगा।

इस नियमानुसार महेदी अले० की बेसत के अहादीस में ग़ौर करना चाहीये कि उनकी दलालत (तर्क) और उनका सियाक़ (संदर्भ) किस मफ़्हूम (भावार्थ) को ज़ाहिर करता है। अगर उस में आप के पैदा होने की ज़रुरत साबित होजाये तो बिला शुबह इस बात को स्वीकार करना वाजिब (अनिवार्य) होगा कि हज़रत महेदी अले० का आना और महेदीयत का दाअवा करना ज़रुरियाते दीन में दाख़िल है।

इस लिये उचित है कि महेदी अले० के आने के बारे में उन अहादीस में से कुछ हदीसें जिनमें इमाम अले० की बेसत की ज़रुरत बताइ गई है यहाँ बयान की जायें।

इमाम बैहक़ी ने हज़रत अली करमल्लाहु वज्हहु से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया।

''अगर दुन्या के अय्याम (दिनों) में से एक दिन भी बाक़ी रहेगा तो अल्लाह तआला उसी दिन में मेरी अहले बैत से (यानि फ़तिमतुज़-ज़हरा रज़ी० की संतान से) एक व्यक्ति को पैदा करेगा जो ज़मीन को अदल (यानि ईमान) से इस तरह भरदेगा जिस तरह वह ज़ुल्मो जौर (यानि क़ुफ़्र और उदवान) से भरी हुवी थी''।

इमाम तिर्मिज़ी ने हज़रत अबू हुरेरा रज़ी० से रिवायत की है कि *''रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि अगर दुन्या के अय्याम से एक दिन भी बाक़ी रह जायेगा तो अल्लाह तआला उस दिन को लंबा करदेगा यहाँ तक कि एक शख़्स मेरी अहले बैत से हाकिम (ख़लीफ़ा) हो जाये जिसका नाम मेरे नाम के मुवाफ़िक (अनुकूल) होगा''।*

इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में ज़िक्र किया है कि:

''अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया है कि क़ियामत उस वक़्त तक क़ाइम नहीं

होगी जब तक कि मेरी अहले बैत से एक शख़्स जिसका नाम मेरे नाम के जैसा होगा ख़लीफ़ा ना होजाये''।

हाफ़िज़ अबू नुअएम ने महेदी अले० की सिफ़त (विशेषता) के विषय में हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी० से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया किः

'' दुन्या का उस वक़्त तक इख़्तिताम (समापन) नहीं होगा जब तक कि मेरी अहले बैत से एक शख़्स मबऊस न हो जाये जिस का नाम मेरे नाम के जैसा और उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा। यह शख़्स दुनया को अदल से भर देगा जैसा कि वह ज़ुल्मो जौर से भरी हुवी थी''।

हाफ़िज़ अबू नुअएम ने हुज़ैफ़ा रज़ी० से रिवायत की है किः

''रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि अगर दुनया का एक दिन भी बाक़ी रहेगा तो अल्लाह तआला उसमें एक ऐसे शख़्स को पैदा करेगा जिसका नाम मेरे नाम के जैसा होगा और मेरे ख़ुल्क़ (स्वभाव) के मुशाबेह (तुल्य) होगा और अबू अब्दुल्लाह क़ुन्नियत (उपनाम) करेगा''।

इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में अबू सईद ख़ुदरी रज़ी० से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि :

''क़ियामत उस वक़्त तक क़ाइम नहीं होगी जब तक दुनया ज़ुल्म व उदवान से ना भर जाये, फिर मेरी इत्रत या अहले बैत से एक शख़्स मबऊस होगा (आयेगा) जो ज़मीन को अदल से ऐसा भर देगा जैसा कि वह ज़ुल्म से भरी हुवी थी''।

इन अहादीस का क़द्रे मुश्तरक (संयुक्त मुल्य/निचोड़) यही है कि रसूलुल्लाह सल्ला० की अहले बैत से एक शख़्स का मब्ऊस होना (आना) अम्रे ज़रूरी (अनिवार्य विषय) है। इन अहादीस में उस शख़्स के जिसका इंतिज़ार है उसके मुख़्तलिफ़ औसाफ़ (विशेषताऐं) बताये गये हैं, यानि हज़रत अली बिन अबी

तालिब करमल्लाहु वज्हहु, अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी० और अबू सईद ख़ुद्री रज़ी० की हदीसों में बेसत की ज़रुरत इस सिफ़त के साथ बतलाइ गइ है कि वह शख़्स जो अहले बैते रसूल सल्ला० से मबऊस होने वाला (आने वाला) है, ज़मीन से ज़ुल्म दूर करेगा और अदल (न्याय) से भरदेगा। जो हदीस अबू हुरेरा रज़ी० ने बयान की है वह बेसत की ज़रूरत के अलावा इस बात पर भी दलालत करती है कि उसको विलायत और ख़िलाफ़त भी हासिल होगी और वह रसूलुल्लाह सल्ला० का हम नाम (समनाम) होगा। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी० की रिवायत (वर्णन) भी अबू हुरेरा रज़ी० की रिवायत की मुस्बत (सकारात्मक) है कि जब तक वह मबऊस नाहो क़ियामत नहीं आएगी, वह मेरी अहले बैत से है और वह ख़लीफ़ा होगा। हुज़ैफ़ा रज़ी० की रिवायत इस बात को साबित करती है कि बेसत की ज़रूरत के अलावा वह रसूले करीम सल्ला० का हम नाम और हम ख़ुल्क़ होगा।

इन अहादीस में अगरचे हज़रत महेदी अले० का पवित्र नाम मौजूद नहीं है मगर जिस व्यक्ति का इंतिज़ार किया जा रहा है वह महेदी अले० के सिवाय दूसरा व्यक्ति नहीं है क्योंकि महेदी से संबंधित अहादीस ख़बरे मुग़य्यब हैं और ख़बरे मुग़य्यब में हरजगाह तसरीह (स्पष्टी करण) की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्ला० के आने की जो सूचनाऐं तौरात और इंजील में ज़िक्र की गइ हैं उनमें रसूलुल्लाह सल्ला० का नाम स्पष्ट रूप से नहीं बतलाया गया है, बल्कि सिर्फ़ इशारात और किनायात (संकेत) से काम लिया गया है। चुनाँचे तौरात में ज़िक्र किया गया है कि ''ख़ुदावंद जिबाले फ़ारान से दस हज़ार क़ुद्दूसियों के साथ ख़ुरूज फ़र्मायेगा (निकलेगा), और यह कि ख़ुदावंद उख़वते मूसा अले० से होगा।'' इनमें नाम की सराहत नहीं है। इसी तरह इंजील में आँहज़रत सल्ला० के विषय में जो सूचनायें दी गइ हैं उनकी भी यही हालत है यानि उनमें भी रसूलुल्लाह सल्ला० का नाम मौजूद नहीं है, बल्कि संकेत द्वारा आँहज़रत सल्ला० के आने का ज़िक्र किया गया है।

इसी तरह उन अहादीस में अगरचे महेदी अले० का नाम मौजूद नहीं है मगर इस विषय की दूसरी रिवायतें और भी हैं जिन में महेदी अले० का नाम मौजूद है। चुनाँचे अनमें से बाज़ रिवायतें यह हैं। इमाम अबू दाऊद ने रिवायत की है कि :

''उम्म सल्मा रज़ी० फ़र्माती है कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्ला० से सुना है कि महेदी मेरी इत्रत यानि फ़ातिमा रज़ी० की संतान से है''।

''अबू सईद ख़ुद्री रज़ी० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि महेदी रौशन पेशानी वाला, ऊंची नाक वाला होगा, ज़मीन को अदल से भर देगा जैसा कि ज़ुल्म से भरी हुवी थी, सात साल माल्कि रहेगा''।

इमाम अहमद, अबू दाऊद और अबू नुअएम ने रिवायत की है कि:

''रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि मैं तुमको महेदी की शुभ सूचना देता हूँ जो लोगौं में इख़्तिलाफ़ और तज़लूज़ुल (भूकंप) वाक़े होने के समय मेरी उम्मत में मबऊस होंगे और दुनया को अदल और इंसाफ़ से भरदेंगे जिस तरह वह ज़ुल्म और जौर से भरी हुवी थी''।

इन हदीसौं से साबित है कि वह व्यक्ति जिसका इंतिज़ार हो रहा है अस्ल में महेदी हैं क्योंकि जो औसाफ़ (बिशेषतायें) उस शख़्से मुंतज़र के हैं वह इन अहादीस में भी ज़िक्र किये गये हैं। चुनाँचे क़िस्तो अदल (न्याय) से ज़माने का भर जाना, और शख़्से मुंतज़र का फ़ातिमा रज़ी० की संतान से होना उपर्युक्त अहादीस जिनमें बेसत की ज़रूरत बताई गई है और इन अहादीस में मौज़ूद है। ग़रज़ शख़्से मुंतज़र से मुराद महेदी हैं। इस के अलावा अइम्मए हदीस ने शख़्से मुंतज़र की बेसत की ज़रूरत (अनिवार्यता) साबित करने वाली अहादीस को बाबुल महेदी में बयान फ़माया है। चुनाँचे अबूदाऊद, तिर्मिज़ी, इब्ने माजा, हाफ़िज़ अबू नुअएम और दार क़ुत्नी वग़ैरा ने ऐसा ही किया है। पस नक़्क़ादाने हदीस (समीक्षा करने वालौं) की जानिब से की गई ताअईन (निर्धारण) और तश्ख़ीस (पहचान) तसरीह (स्पष्टी करण) से कम नहीं है।

ख़ुलासा यह है कि रसूलुल्लाह सल्ला० के अहले बैत से जिस व्यक्ति के आने का वादा किया गया जिस की यहाँ चर्चा की जा रही है उसका वुजूद ज़रूरी (अस्तित्व अनिवार्य) है, और ज़रूरते बेसत की अहादीस में अगरचे महेदी अले०

का नाम मौजूद नहीं है मगर वह शख़्ये मुतंज़र अस्ल में महेदी के सिवाय कोइ दूसरा व्यक्ति नहीं है। ग़रज़ महेदी अले० की बेसत ज़रुरियाते दीन (धर्म का अनिवार्य भाग) से है, और चूंकि महेदी अले० की ज़ाते अक़्दस दाफ़े हलाकते उम्मत है, इस कारण भी महेदी अले० की बेसत ज़रुरी क़रार पाती है। चुनाँचे इमाम अहमद ने अपनी मुस्नद में अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी० से और ''कंज़ुल-उम्माल'' में हज़रत अली रज़ी० से और इसके अलावा 'मिश्कात' में बइख़्तिलाफ़े अलफ़ाज़ (शब्दों में मतभेद) यह रिवायत है:

''रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि वह उम्मत कभी हलाक नहीं होगी जिसके अव्वल (प्रारंभ) मैं हूँ और ईसा इब्ने मर्यम उसके अंत में हैं और महेदी उम्मत के बीच में हैं''।

इस हदीस से साबित है कि महेदी अले० दाफ़े हलाकते उम्मत हैं यानि रसूलुल्लाह सल्ला० ने अपनी ज़ात की तरह महेदी अले० को भी दाफ़े हलाकत फ़र्माया है। पस रसूलुल्लाह सल्ला० की तरह दाफ़े हलाकते उम्मत का ज़ुहूर (प्रकटन) भी ज़रूरी (अनिवार्य) है मगर इस शर्त के साथ कि वह उम्मत के वस्त (मध्यकाल) में होगा। इस सहीह हदीस से साबित होता है कि महेदी और ईसा अले० के एक ही ज़माने में आने का विचार ग़लत है।

पहले लिखा जा चुका है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने महेदी अले० की बेसत की तीन तरीक़े से ख़बर दी है। एक यह कि महेदी अले० की बेसत ज़रूरियाते दीन से है। दूसरा यह कि महेदी दाफ़े हलाकते उम्मत हैं। इन दो विषयों का बयान तो होचुका। तीसरी वज्ह यह बयान फ़र्माइ कि महेदी अले० अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं और आप से बैअत ज़रुरी है। चुनाँच मुहद्दिस हाकिम, इब्न माजा और अबू नुअएम ने रिवायत की है कि:

''सौबान रज़ी० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि तुम्हारे ख़ज़ाने के पास तीन आदमी जो ख़लीफ़ा की औलाद से होंगे झगडेंगे लेकिन एक भी उस पर क़ाबिज़ नही होसकेगा। फिर उसके बाद पूरब की तरफ़ से झंडियाँ प्रकट होंगी। पस वह लोग तुमको ऐसा क़त्ल करेंगे कि अब तक किसी क़ौम ने ऐसा क़त्ल न

किया होगा। फिर उसके बाद अल्लाह के ख़लीफ़ा महेदी आयेंगे। जब तुमको महेदी की सूचना मिले तो उनके पास जाओ और उनसे बैअत करो अगरचे तुमको बर्फ़ पर से रेंगते हुवे जाना पड़े क्योंकि वह अल्लाह के ख़लीफ़ा महेदी हैं''।

इस हदीस से साबित है कि महेदी अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं और आप के हाथ पर बैअत वाजिब है, क्योंकि इस हदीसे शरीफ़ में शब्द *''फ़बायऊहु''* मौजूद है, और यह शब्द सीग़ए अम्र (आदेश) है और सीग़ए अम्र जब किसी क़रीनए सारिफ़ा के बग़ैर कहा जाये तो उस से वुजूब और फ़र्ज़ (अनिवार्यता) मुराद होता है। ग़रज़ इस हदीस से मंसूसन् (विशेष पवित्र आदेश से) साबित हो रहा है कि महेदी अले० से बैअत फ़र्ज़ है चुनाँचे *''फ़बायऊहु''* के शब्द इसी माना पर दलालत करते हैं, और *''वलो हबवन अलस् सल्ज''* (अगरचे कि बर्फ़ पर से रेंगते हुवे जाना पड़े) से इस फ़र्ज़ियत (अनिवार्य धार्मिक कर्तव्य) की मज़ीद ताकीद (अधिक आग्रह) होती है, और *''फ़इन्नहु ख़लीफ़तुल्लाह''* (क्योंकि वह अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं) के अलफ़ाज़ इस फ़र्ज़ की तौजीह (कारण) पर दलालत करते हैं। पस महेदी का अल्लाह का ख़लीफ़ा होना और आप से बैअत फ़र्ज़ और लाज़िम होना इस हदीस से साबित है। ज़ाहिर है कि जो अल्लाह का ख़लीफ़ा होगा वह ख़ता से मासूम (निर्दोष) होगा। उसी की तरफ़ रसूलुल्लाह सल्ला० ने इशारा फ़र्माया है कि ''महेदी मेरी औलाद से हैं, मेरे नकशे-क़दम (पाँव का निशान) पर चलेंगे और ख़ता (पाप) नहीं करेंगे''।

इस के आलावा ऊपर गुज़्री हदीस ''मेरी उम्मत कभी हलाक नहीं होगी'' इस बात पर दलालत करती है कि महेदी अले० उम्मते मुहम्मदीया से हलाकत को दूर करेंगे। इस सूरत (परिस्थिति) में भी आप के हाथ पर बैअत ज़रुरी है और आपकी इत्तिबाअ (अनुकरण) फ़र्ज़ है, नहीं तो हलाकत (तबाही) की नफ़ी (नकारना) कठिन है, क्योंकि उम्मत के मध्य काल में आप की बेसत जो इस हदीस में मंसूस हुवी (निश्चित रूप से दी गइ) है वह इसी कारण है कि उम्मते मुहम्मदीया आप की इक़्तिदा (अनुकरण) करे और आपके फ़रामीने क़ुदसिया पर अमल करे (पवित्र आदेशों का पालन करे), नहीं तो केवल बेसत ग़ैर ज़रुरी

(अनावश्यक) है। इस लिये आप की इक़्तिदा हलाकत को रोकने का सबब है। पस जब तक कि आप की इक़्तिदा ना की जाये हलाकत की नफ़ी कठिन नहीं बल्कि नामुम्किन (असंभव) है। ग़रज़ इस कारण भी आप की इत्तिबाअ फ़र्ज़ है।

इन अहादीसे शरीफ़ा से चंद बातें साबित होती हैं यानि इमाम महेदी अले० ख़ातिमे दीन हैं, अल्लाह के ख़लीफ़ा हैं, रसूलुल्लाह सल्ला० के ताबे ताम (संपूर्ण आज्ञाकारी) है और ख़ता से मासूम हैं। रसूलुल्लाह सल्ला० की तरह दाफ़े हलाकते उम्मत हैं। दुनया आपकी बेसत के बग़ैर ख़त्म नहीं होगी, और रसूलुल्लाह सल्ला० के हमनाम होंगे। ग़रज़ इन हदीसौं का ख़ुलासा यही है कि रसूलुल्लाह सल्ला० के बाद एक ज़ाते मुक़द्दस का पैदा होना ज़रूरी है जो अल्लाह का ख़लीफ़ा, ख़ातिमे दीने रसूलुल्लाह सल्ला०, दोफ़े हलाकते उम्मत, रसूलुल्लाह सल्ला० का हमनाम और महेदी के लक़ब से मुलक़्क़ब है।

ग़रज़ महेदी अले० की बेसत के बारे में जिस क़दर अहादीसे शरीफ़ा आइ हैं उन सब का क़द्रे मुश्तरक (निचोड़) यही एक अम्र है कि रसूलुल्लाह सल्ला० के बाद फ़ातिमतुज-ज़हरा रज़ी० की संतान से एक इमामे मासूम की बेसत ज़रुरी (अनिवार्य) है जो रसूलुल्लाह सल्ला० के दीन का नासिर (सहायक) और उम्मते मुहाम्मदीया को हलाकत से बचाने वाला होगा, क्योंकि आप की बेसत के विषय में जितनी भी अलामतें (लक्षण) और अहादीस बयान की गइ हैं उन सब में सिर्फ़ महेदी अले० का फ़ातिमा रज़ी० की औलाद से होना अहादीसे मुतवातिरा से साबित है। चुनाँचे अबूदाऊद ने रिवायत की हैः

> *''उम्मे सल्मा रज़ी० फ़र्माती हैं कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्ला० से सुना है कि महेदी मेरी इत्रत (वंश) से यानि फ़ातिमा रज़ी० की औलाद से है''।*

इब्ने माजा ने रिवायत की हैः

> *''सर्हद इब्न अल-मुसय्यब रज़ी० ने कहा कि हम उम्मे सलमा के पास थे, उन्हों ने कहा कि मैं ने रसूलुल्लाह सल्ला० को यह फ़र्माते सुना कि महेदी फ़ातिमा रज़ी० की औलाद से हैं''।*

अबू नुअएम ने रिवायत की है किः

''रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़ातिमा रज़ी० से फ़र्माया कि महेदी तेरी औलाद से है''।

इब्ने असाकिर ने रिवायत की है किः

''रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि फ़ातिमा तुझे बशारत हो कि महेदी तुझ से है''।

मुल्ला अली अल-क़ारी ने ''अल-मशरबुल वरदी फ़ी मज़्हबिल महेदी'' में लिखा है कि बाज़ हदीसौं से मालूम होता है कि महेदी अले० इमाम हसन रज़ी० की औलाद से हैं और बाज़ हदीसौं में पाया जाता है कि इमाम हुसेन रज़ी० की औलाद से हैं, मसलन, तब्रानी ने ''मोअजम कबीर'' में और अबू नुअएम ने अली अल-हिलाली से रिवायत की है किः

''रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माय कि उस ख़ुदा की क़सम जिसने मुझ को हक़ के साथ मबऊस किया (भेजा) है, इस उम्मत के महेदी इन दोनों यानि हसन रज़ी० और हुसेन रज़ी० की औलाद से होंगे''।

अबू दाऊद ने और नईम बिन हम्माद ने ''किताबुल-फ़ितन'' में हज़रत अली रज़ी० से रिवायत की हैः

''हज़रत अली करमल्लाहु वज्हहु ने अपने पुत्र इमाम हसन रज़ी० को देखा और फ़र्माया कि यह मेरा फ़र्ज़ंद सय्यद है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया है, क़रीब में इसके सुल्ब (नस्ल) से एक शख़्स निकलेगा जिस का नाम तुम्हारे नबी का नाम होगा''।

''इक़्दुद् - दूरर'' के संपादक ने और इमाम सुयूती ने ''अल-उरफ़ुल-वरदी'' में लिख है किः

''अबी वाइल ने बयान किया है कि हज़रत अली रज़ी० ने अपने पुत्र हुसेन रज़ी० को देखकर फ़र्माया कि यह मेरा पुत्र सय्यद है जैसा कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने इनका नाम रखा है, क़रीब में

इसकी नस्ल (संतान) से एक व्यक्ति निकलेगा जिसका नाम तुम्हारे नबी का नाम होगा''।

इस हदीस में और ऊपर की हदीस में सिर्फ़ हसन और हुसेन के नाम का फ़र्क़ है।

हाफ़िज़ अबुल क़ासिम ने अपनी मौअजम में और हाफ़िज़ अबू नुअएम अस्बहानी और हाफ़िज़ अबू अब्दुल्लाह नईम बिन हम्माद ने किताबुल फ़ितन में रिवायत की है कि

''अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी० से रिवायत है कि आप ने फ़र्माया कि हुसेन रज़ी० की औलाद से एक शख़्य पूरब की तरफ़ से निकलेगा। अगर पहाड़ भी उसके सामने आजायें तो उनको गिरा देगा और उनमें रास्ता पैदा करलेगा''।

रिवायात (वर्णन) में इस हख़्तिलाफ़ (मतभेद) के कारण शेख़ अब्दुल हक़ मुहद्दिस देहलवी ने ''लम्आत शर्ह मिश्कात'' में लिखा है कि:

''अहादीसे मुतवातिरा से साबित है कि इमाम महेदी अहले बैत से यानि फ़ातिमा रज़ी० की संतान से हैं। बाज़ हदीयौं में हसन रज़ी० की संतान से और बाज़ मे हुसेन रज़ी० की संतान से होने का ज़िक्र है, और बाज़ ग़रीब अहादीस में है कि महेदी अब्बास रज़ी० की संतान से हैं''।

इब्ने हजर हैतमी लिखते हैं कि:

''एक व्यक्ति में मुख़्तलिफ अहवाल (अवस्था) मुतअद्दिद जिहतौं (अनेक कारणौं) से पाये जाना मुम्किन है''।

इस ग़रीब और शाज़ रिवायत को छोड़ कर कि महेदी अले० अब्बास रज़ी० की संतान से हैं, आप का फ़तिमा रज़ी० की संतान से होना क़तई और यक़ीनी (निश्चित) है। उम्मत के उलमा इसी पर सहमत हैं। चुनाँचे अल्लामा तफ़्ताज़ानी (देः७९२ हिज्री) ''शार्ह मक़ासिद'' में लिखते हैं

''उलमा सहमत हैं कि महेदी अले० इमामे आदिल और फ़ातिमा रज़ी० की संतान से हैं''।

चूंकि इमामुना हज़रत महेदी अले० इमाम हुसेन रज़ी० की औलाद से हैं इस लिये वही हदीस सहीह है जिसमें इमाम हुसेन रज़ी० की औलाद से होने का ज़िक्र है।

महेदी अले० के हुलिया (मुखाकृति) के विषय में जो हदीसें आइ हैं अनमें चदं यह हैंः

रूयानी और उबू नुअएम ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी० से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्मायाः

''महेदी मेरी औलाद से एक शख़्स हैं, उनका रंग अरबी और जिस्म इसराईली होगा। उनके दाऐं गाल पर एक रौशन ख़ाल (तिल) सितारे की तरह चमकता रहेगा''।

हज़रत अली रज़ी० इब्न अबी तालिब से रिवायत है किः

''हज़रत अली करमल्लाहु वज्हहु ने फ़र्माया कि महेदी घनी दाढ़ी और सुर्मई आँखों वाले होंगे, चेहरे पर तिल और कंधे पर नबी अले० की अलामत होगी''।

अबू दाऊद ने रिवायत की है किः

''अबू सईद ख़ुदरी रज़ी० ने कहा कि रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि महेदी मुझ से हैं रौशन पेशानी वाले, बुल्दं नाक होगी। ज़मीन को अदल व इंसाफ़ से भरदेंगे जिस तरह वह ज़ुल्म और जौर (अन्याय) से भर गई थी, सात साल तक हुकूमत करेंगे''।

इन अहादीस में जो हुलिया बयान किया गया है हूबहू यही हुलिया इमामुना महेदी अले० का था जिस का ज़िक्र हमारी नक़लियात की किताबों में मौजूद है।

अबू दाऊद की इस मज़्कूरा हदीस में हुलिया के अलावा दो बातें और बयान की गई हैं। एक यह कि महेदी अले० ज़मीन को क़िस्त-व-अदल से भरदेंगे और दूसरी बात यह है कि महेदी अले० की दावत सात साल रहेगी।

ज़मीन को क़िस्तो अदल से भरने की बहस बाद में की जायेगी। दावत की मुद्दत (अवधि) सात साल रहने के विषय में इस क़दर बयान करना ज़रुरी है कि महेदी अले० की दावत के ज़माने के बारे में इख़्तिलाफ़ है। जिस तरह इस हदीस में मुद्दत सात साल बयान की गई है उसी तरह दूसरी हदीसों में दावत की मुद्दत पाँच साल और नौ साल भी बयान की गई है।

बाज़ ग़रीब हदीसों मेंः छे साल (६), आठ साल (८), बीस साल (२०), और चालीस साल (४०) भी ज़िक्र की गई है।

यह सब अख़बार अहाद हैं। इनमें वही ख़बर महीह होगी जिसका ज़ुहूर हो जाये और वह पाँच साल है, क्योंकि इमामुना महेदी अले० की दावत का ज़माना जिसको दाअवए मुअक्कदा का ज़माना कहा जाता है, पाँच साल रहा है। इसी मुद्दत में आप ने महेदीयत का दावा ताकीदी तौर पर (आग्रह पूर्वक) फ़र्माया और इर्शाद हुवा कि "जिस ने मेरी तस्दीक़ (प्रमाणता) की वह मोमिन है और जिस ने इंकार किया वह काफ़िर है।" अब रहा सात (७) साल और नौ (९) साल की मुद्दत तो वह भी सहीह क़रार पाती है क्योंकि सबसे पहले हज़रत ने मक्का मुअज़्ज़मा में ९०१ हिज्री में दावा फ़र्माया जिस से दावत की मुद्दत नौ साल होती है, और फिर अहमदाबाद में ९०३ हिज्री में महेदीयत के दावे का इआदा फ़र्माया (दोहराया) और वफ़ात शरीफ़ (निधन) ९१० हिज्री तक सात साल दावत रही।

इमाम तिरमिज़ी अबू सईद ख़ुद्री रज़ी० से रिवायत करते हैंः

"अबू सईद ख़ुद्री रज़ी० ने कहा कि हमको डर हुआ कि रसूलुल्लाह सल्ला० के बाद कोई फ़ितना (उपदव) खड़ा होजाये। हमने रसूलुल्लाह सल्ला० से अर्ज़ (निवेदन) किया तो फ़र्माया कि महेदी मेरी उम्मत में पैदा होगा और वह पाँच साल या सात साल या नौ साल ज़िंदा रहेगा (यानि दावत करेगा)"।

सात साल और नौ साल की मुद्दत का ज़िक्र एक और हदीस में भी आया है। मश्हूर सहाबी हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी० से रिवायत है कि फ़र्माते हैं:

''रसूलुल्लाह सल्ला० ने फ़र्माया कि अगर दुनया की एक रात भी बाक़ी रह जाये तो उस एक रात को अल्लाह तआला इतना लंबा करदेगा कि उसमें मेरी अहले बैत से एक शख़्स मालिक हो जायेगा, जिसका नाम मेरे नाम के जैसा और उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम के जैसा होगा। ज़मीन को क़िस्त व अदल से भरदेगा जिस तरह वह ज़ुल्म व जौर से भरी हुवी थी, और माल बिस्सवीयाह (बराबर-बराबर) तक़्सीम करेगा और अल्लाह तआला उसके ज़माने में इस उम्मत के क़ुलूब (दिलों) को ग़नी (अनिच्छुक) करदेगा। वह सात साल या नौ साल मालिक रहेगा, फिर महेदी के बाद ज़िंदगी में कोइ भलाई नहीं है''।

इस हदीस से चंद बातें साबित होती हैं, मसलनः

* महेदी अले० रसूलुल्लाह सल्ला० के अहले बैत से हैं।

* आप तमाम दुनया के मालिक होंगे यानि आप की दावत आम अफ़रादे इंसानी पर होगी।

* आप का नाम रसूलुल्लाह सल्ला० का नाम और आपके वालिदैन का नाम रसूलुल्लाह सल्ला० के बालिदैन के नाम के जैसा होगा।

* आप अम्वाल (धन) को बिस्सवीया (समान) तक़्सीम फ़र्मायेंगे।

* आप के ज़माने में लोग मताए दुनया (सांसारिक पूँजी) से मुस्तग़नी (बेपरवाह) रहेंगे।

* सात साल या नौ साल आप मालिक रहेंगे।

पस इन तमाम औसाफ़ (गुणों) से आप (हज़रत सय्यद मुहम्मद जोनपूरी महेदी अले०) मुत्तसिफ़ (गुणी) थे. आप के ज़माने में तक़्सीम बिस्सवीया (समान

रुप से) होती थी और आप का अनुकरण करने वालौं में समान रूप से तक़्सीम करने का अमल जारी है, और चूंकि आपने तर्के दुनया को फ़र्ज़ फ़र्मा दिया है इस लिये जब आपके मुसद्दिक़ीन (प्रमाण कर्ता) तर्के दुनया करते हैं तो उनके दिल ग़नी (अनिच्छुक) होजाते हैं, दुनया की मुहब्बत उनके दिल से फ़ना हो जाती है और दुनया के माल से उनको बेनियाज़ी (निःस्पृहत) हो जाती है। उनके दिल हसरत (इच्छा) और यास (निराशा) से पाक होते हैं, ना वह माहवार (मासिक) लेते हैं और ना मंसब (पद) और जागीर (समपत्ती) रखते हैं। अपने बोसीदा लिबास और फ़ुक्र और फ़ाक़ा में मस्त हैं। यह फ़ैज़ (उपकार) और यह क़नाअत (संतोष) आप की तस्दीक़ का नतीजा है और अब भी आप के मुसद्दिक़ीन में मौजूद है।

बाक़ी आसार और अलामात अख़बारे अहाद से मुस्तूंबत (निष्कर्षणीय) हैं और उनका पाया जाना ज़रूरी नहीं है। उसी की तरफ़ इमामुना हज़रत महेदी अले० ने इर्शाद फ़र्माया है किः

''अहादीस में बहुत इख्तिलाफ़ है और उनका सहीह होना मुश्किल है। जो हदीस क़ुरआने मजीद और बंदे के हाल के मुवाफ़िक़ हो वह सहीह हैं''। (अक़ीदए शरीफ़ा)

अंततः महेदी अले० का सिर्फ़ फ़ातिमा रज़ी० की संतान से होना क़तई और यक़ीनी है।